¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ

VÉ±ÉÉ< 2014

|É¤ÉvÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
®úPÉÖ´ÉÆ¶Éú ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É

ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉ®úÉ¶É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ

ºÉ¨{ÉÉnEò
®úÉVÉÒ´É ÊiÉ´ÉÉ®úÒ

={É ºÉ¨{ÉÉnEò
®úVÉxÉÉ ÊSÉiÉ±É

´ÉɤÉºÉÉ<]
+Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉ

Eò¨{ÉÉ`ÉËVÉMÉ
+±{ÉxÉÉ ®úÉ`ÉÉ®

+ÉEò±{ÉxÉ
+É±ÉÉEòÉ MÉ{iÉÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉEò®ú ®úɪÉ

BEò |ÉÊiÉ : ¤ÉÒºÉ ¯û{ɪÉ
´ÉÉÌ¹ÉEò : nÉ ºÉÉ ¯û{ɪÉ

ºÉ¨{ÉEÇ
¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |ɶÉɺÉÊxÉEò IÉäjÉ, +®ú®úÉ Ê½±É
¦ÉÉä{ÉÉ±É-462011
¡òÉxÉ : 2764742, 2551330
¡òèCºÉ : 0755-4228409

EòÞ{ɪÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¶ÉÖ±Eò ¤ÉéxÉE Eò ÊbÅ ±ÉB +{ÉxÉ bÅ}]/
¨ÉxÉÒ+Éb®ú ¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉä{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉ*

¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ ¨É ´ªÉHò Ê´ÉSÉÉ®ú ±ÉäJÉEòÉä Eò +{ÉxÉ ½è,
<ºÉºÉ ʱÉB ºÉ¨{ÉÉnEò EòÉ ºÉ½¨ÉÊiÉ +Ê´ÉɪÉÇ xɽÓ ½è*

<ºÉ +ÆEò ¨Éå

राज्य सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका का विमोचन करते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव

सामाजिक न्याय विभाग की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव

समग्र : मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन 3

साक्षात्कार - समग्र : समावेशी विकास से समग्र विकास की ओर 7

सम्मान : मध्यप्रदेश को मिला स्कॉच फायनेंशियल इन्क्लूजन डीपनिंग अवॉर्ड 9

समग्र : सबका विकास समग्र के साथ 10

खास खबरें : वरिष्ठजन तथा नि:शक्तजन कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर अमल हो 13

साक्षात्कार : गाँव की तस्वीर बदलने का संकल्प 14

समग्र विशेष : समग्र से मिले सभी को लाभ 15

समग्र : समग्र पोर्टल पर नये परिवार और परिवार सदस्यों का पंजीयन 18

समग्र रिपोर्ट : समग्र पोर्टल पर सदस्य पंजीकरण 24

पंचायत गजट : समग्र पोर्टल पर नये परिवार और व्यक्तियों का होगा पंजीयन 26

स्कूल चलें हम : शिक्षित मध्यप्रदेश से ही बनेगा विकसित मध्यप्रदेश 41

पंचायत चुनाव : तीन चरण में होंगे पंचायत चुनाव 44

पंचायत दर्पण : प्रगति की राह पर अग्रसर - पंचायत दर्पण 46

आपकी बात : स्कूल चलें हम 48

Ê|ÉªÉ {ÉÉ`öEòÉä,

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश के गांव समावेशी विकास से समग्र विकास की ओर अग्रसर हैं। मध्यप्रदेश में समग्र विकास योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों और समाज के निचले स्तर तक के व्यक्तियों को मिल रहा है, जिसका श्रेय काफी हद तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को जाता है। इसी को लेकर हमने श्री भार्गव जी से चर्चा की है जिसे साक्षात्कार स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश के कमजोर, निर्धन, वृद्ध, निःशक्तजनों के कल्याण और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। 'समग्र' स्तंभ में हमने इस मिशन के बारे में जानकारी प्रकाशित की है। 'सम्मान' स्तंभ में मध्यप्रदेश को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए गत दिनों नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच फायनेंशियल इन्क्लूजन और डीपनिंग अवॉर्ड 2014 प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश की ओर से यह अवॉर्ड अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा ने ग्रहण किया, इसकी जानकारी भी प्रकाशित की है। भोपाल में आयोजित सामाजिक न्याय विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने वरिष्ठजन और निःशक्तजनों के कल्याण कार्यक्रमों के बेहतर अमल पर जोर दिया। इस खबर को हमने 'खास खबरें' स्तंभ में प्रकाशित किया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में "स्कूल चलें हम" अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनेगा। 'शिक्षित मध्यप्रदेश बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की है।' कार्यक्रम में मौजूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अशिक्षा के अभिशाप से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। इस खबर को हमने 'स्कूल चलें हम' स्तंभ में प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराये जायेंगे। भोपाल में हुई संभाग स्तरीय बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह जानकारी प्रदान की इस खबर को हमने 'पंचायत चुनाव' स्तंभ में प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश के पंचायत राज संचालनायल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बनाये गये पंचायत दर्पण वेबपोर्टल पर पंचायतों ने अपनी जानकारी प्रविष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। इसकी जानकारी को हमने 'पंचायत दर्पण' स्तंभ में प्रकाशित किया है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परिवार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलीकृत और पारदर्शी बनाकर हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए प्रदेश में नागरिकों का एकीकृत डाटाबेस तैयार किया गया है। इसमें सभी परिवारों और नागरिकों का पंजीयन समग्र पोर्टल के द्वारा होगा। राज्य शासन द्वारा जारी इस आदेश का यथावत प्रकाशन 'पंचायत गजट' स्तंभ में किया गया है यदि आप पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(®PÉ EÖ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É)

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन

समग्र निर्माण के लिए विचार विमर्श

मध्यप्रदेश में **समग्र हिताय समग्र सुखाय** के सिद्धान्त पर कार्य किया जा रहा है। अंतिम पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति को उनका हक दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, निःशक्तजनों, कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया।

अपने संकल्प को आकार देने के लिए सरकार ने सबसे पहले विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित शासन की परिवार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने का प्रयास किया। सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखते हुए, योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रय पारित किया गया।

आरंभ में 7 योजनाएं तथा कार्यक्रम शामिल किये गये इसके अतिरिक्त नई योजनाओं को भी शामिल किये जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य

- योजना तथा सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम तथा प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राहीमूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों को पोर्टल पर उपलब्ध कराना।
- राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के समस्त नागरिकों तथा परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय-समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये

गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।

राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्यों को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

30 अप्रैल 2012 को मंत्रिपरिषद् द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के प्रस्ताव को पारित किया गया।

- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग रहेगा।
- चिकित्सा संबंधी, श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में उल्लेखित अवयवों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उनके माध्यम से संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के साथ-साथ क्रियान्वित की जाएगी जिसमें जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति अवकाश सहायता योजना को भी रखा गया।
- आवेदन पर स्वीकृति तथा प्रक्रिया एक से अधिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को समय पर उपलब्ध हो इसका दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया।
- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जिसमें विवाह प्रोत्साहन सहायता, पेंशन एवं अनुग्रह, बीमा, अन्त्येष्टि सहायता आदि दायित्व सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को सौंपा गया।

मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव स्तर से साप्ताहिक बैठकें प्रारम्भ की गईं। 27 जुलाई 2012 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसे मिशन मोड में चलाया जाये तथा मिशन संचालक की पदस्थापना की जाये। इसके मिशन मोड में चलाने के लिये मिशन संचालक की पदस्थापना 28 अगस्त 2012 को की गई।

चूंकि समग्र अंतर्गत चिन्हित की गई विभिन्न योजनाएं परिवार केंद्रित तथा सदस्य केंद्रित थीं जिनका ऑनलाइन क्रियान्वयन करना अत्यंत कठिन कार्य था। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग विभागों द्वारा किया जा रहा था, विभागों के पास योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत तथा लाभांवित हितग्राहियों का ऑनलाइन डेटाबेस नहीं था, अतः योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं थी। हितग्राहियों को उनके जीवन काल में एक बार ही चिन्हांकन तथा सत्यापन कर उन्हें पात्रता के आधार पर लाभ दे पाना संभव नहीं था।

एकीकृत प्रणाली के अभाव में एक हितग्राही एक समय में एक से अधिक विभागों की योजनाओं का लाभ प्राप्त करता था जिसकी जानकारी संबंधित विभागों को नहीं होती थी, इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित शासी निकाय द्वारा प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं व्यक्तियों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करने हेतु सर्वे कराने का निर्णय लिया गया।

सर्वे के लिये ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के परिवार एवं परिवार सदस्यों के पृथक पृथक सर्वे प्रपत्र तैयार किये गये तथा पायलट

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

योजना तथा कार्यक्रम	संचालित योजनाएं
पेंशन	6
छात्रवृत्ति तथा शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित	30
विवाह सहायता	4
बीमा एवं अनुग्रह	7
अंत्येष्टि सहायता	5
प्रसूति एवं प्रसूति अवकाश सहायता	6
चिकित्सा सहायता	7

मिशन के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स समूह

प्रथम समूह (स्वास्थ्य)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश एवं चिकित्सा सहायता।
द्वितीय समूह (छात्रवृत्ति)	स्कूल, शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन
तृतीय समूह (सामाजिक सुरक्षा)	सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन, पेंशन योजनाएं, बीमा एवं अनुग्रह तथा अंत्येष्टि सहायता योजना।

समग्र पर एकीकृत डेटाबेस

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था शासन द्वारा समग्र कार्यक्रम के सूचना प्रौद्योगिकी कार्य के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र म.प्र. को अधिकृत किया गया, एन.आई.सी. द्वारा एकीकृत डेटाबेस तैयार करने तथा डाटा संधारण के लिये समग्र पोर्टल का विकास किया गया। इस कार्य में तकनीकी निदेशक श्री सुनील जैन का सतत मार्गदर्शन और सक्रिय भूमिका रही है।

प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर समग्र सर्वे फार्म में जानकारी भरी गई इन जानकारियों के आधार पर एन.आई.सी. द्वारा निर्मित समग्र पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों, ग्राम रोजगार सहायक तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों, वार्ड कार्यालयों द्वारा परिवार एवं सदस्यों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया, जिसकी सहायता से समग्र मिशन ने एकीकृत डेटाबेस तैयार किया।

स्टेट जनसंख्या पंजी -

- प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं सदस्यों का घर-घर जाकर सर्वे कार्य करने के उपरांत समस्त परिवारों एवं सदस्यों की विस्तृत जानकारी हासिल की गई।
- जानकारी में निम्न विवरण भी विशेष रूप से शामिल था जिसके माध्यम से परिवार और सदस्य की विभिन्न शासकीय योजनाओं की पात्रता तथा अधिकारिता ज्ञात की जा सकें:
  - परिवार : मुखिया का नाम, पता,

योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को त्वरित गति से पहुंच सके तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे इसके लिये एन.आई.सी. द्वारा निम्न वेबपोर्टल तैयार किये गये -

राज्य जनसंख्या पंजी पोर्टल	(SPR.samagra.gov.in)
समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल	(NFSA.samagra.gov.in)
समग्र शिक्षा एवं छात्रवृत्ति पोर्टल	(SHIKSHA.samagra.gov.in)
समग्र पेंशन पोर्टल	(PENSIONS.samagra.gov.in)
समग्र विवाह पोर्टल (कन्यादान/ निकाह योजना)	(VIVAH.samagra.gov.in)
समग्र स्पर्श पोर्टल	(SPARSH.samagra.gov.in)

प्रोजेक्ट के तहत सांची जिला रायसेन का शहरी क्षेत्र, ग्राम पंचायत टीला जिला टीकमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों का डाटा कम्प्यूटरीकृत करने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जाकर जानकारी एकत्र की गई। पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर सर्वे प्रपत्र के दिशा निर्देश तैयार कर प्रत्येक जिले से 4-4 मास्टर ट्रेनर को समग्र के कम्प्यूटरीकरण कार्य का प्रशिक्षण दिया गया, इन मास्टर ट्रेनर द्वारा जिलों में प्रशिक्षण दिया गया। इसके उपरांत प्रदेश के समस्त नागरिकों की जानकारी एकत्रित करने की मुहिम 26 दिसम्बर 2012 से सभी जिलों में प्रारम्भ कराई गई।

साधिकार समिति का गठन

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन 22 अप्रैल 2013 को साधिकार समिति का मुख्य सचिव म.प्र. की अध्यक्षता में गठन किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/26736/13 है। यह साधिकार समिति समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करेगी तथा इसके अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने की कार्यवाही करेगी।

● **महेन्द्र त्यागी**

जाति वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), धर्म, अल्पसंख्यक, BPL/AAY आदि।

- सदस्य : नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, व्यवसाय/कार्यक्षेत्र, शैक्षणिक स्तर, विकलांगता : प्रकार एवं प्रतिशत, श्रमिक संवर्ग, यदि पेंशनर हैं तो पेंशन योजना विवरण, बचत खाता।
- छात्रों से संबंधित जानकारी जैसे स्कूल का नाम, स्कूल डाईस कोड, कक्षा।
- इस जानकारी का कम्प्यूटरीकरण कर 1,87,98,630 परिवारों तथा 7,94,96,655 सदस्यों की विस्तृत प्रोफाइल का ऑनलाइन डेटाबेस समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। पूरे देश में इस तरह का कार्य करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।
- प्रत्येक परिवार को पोर्टल पर पंजीकृत कर उसकी पहचान एवं योजनाओं के लाभ के लिये 8 अंकों का समग्र परिवार यूनिक आई.डी. जारी किया गया।
- प्रत्येक सदस्य को परिवार में पंजीकृत कर 9 अंकों का समग्र सदस्य यूनिक आई.डी. जारी किया गया, यूनिक आई.डी. किसी भी अन्य परिवार या सदस्य को जारी नहीं किये जायेंगे। व्यक्ति स्वयं भी समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं परिवार के सदस्य की समग्र यूनिक आई.डी. को प्राप्त कर सकता है।
- इस डेटाबेस का पोर्टल पर ऑनलाइन संधारण तथा अपडेशन संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकायों द्वारा ही किया जाता है।
- नवजात शिशु के पंजीयन करने से पंजीयन होने के उपरांत हितग्राही को पात्रतानुसार प्रसूति सहायता एवं प्रसूति अवकाश सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
- मृत व्यक्ति की रिपोर्ट पोर्टल पर करने के उपरांत पात्रतानुसार राष्ट्रीय परिवार सहायता, बीमा, मृतक की पत्नि को विधवा पेंशन एवं अंत्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- जन्म एवं मृत्यु की रिपोर्ट पोर्टल पर होने से जानकारी अद्यतन रहती है।
- समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल शासन के लिये आर्थिक जनगणना, जातिगत जनगणना एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्टल हैं।

• सपना त्यागी

हितग्राही को जारी समग्र स्लिप का प्रारूप

Samagra Slip (Front Side)

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
Madhya Pradesh Samajik Suraksha Mission

समग्र परिवार आई.डी. SFID : 12345678
समग्र सदस्य आई.डी. SID : 123456789
सदस्य का नाम : रामजीवन सिंह
पिता/पति का नाम : [illegible] सिंह
लिंग : पुरुष
जन्म दिनांक : 14/03/1984
आधार नम्बर : 123456789101
(अगर हो तो)

जीवन बने आसान, समग्र से हर समाधान..

Samagra Slip (Back Side)

123456789

पता : ओ.पी.डी. टाईप 15/2 तवानगर,
ग्राम, रानीपुर तवानगर
तहसील, इटारसी
जिला, होशंगाबाद (म.प्र.) पिन-461551

राशन कार्ड नम्बर : 1234
विकलांगता : हां/नहीं
विकलांगता का प्रतिशत : 40 %
80 %
जारी दिनांक : 01/06/2014

समग्र सहायक मिशन लीडर
जनपद पंचायत केसला,
जिला-होशंगाबाद म.प्र.
के हस्ताक्षर की अनुकृति

नोट :
१. पर्ची में जानकारी गलत होने पर अपने ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी से संपर्क करें।
२. अधिक जानकारी समग्र पोर्टल http://samagra.gov.in/ से प्राप्त करें।

समग्र आई.डी. कैसे प्राप्त करें

यदि आपका समग्र आई.डी. प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपने स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और यदि नगर के वासी हों तो जोन/वार्ड कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना पंजीयन समग्र पोर्टल पर सुनिश्चित करें।

समावेशी विकास से समग्र विकास की ओर

विकास की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की दिशा में अनूठे प्रयास किये गये जिसके परिणामस्वरूप ग्रामों का समावेशी विकास संभव हुआ है। मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग श्री गोपाल भार्गव के विकास के संकल्प और मार्गदर्शन से ग्राम की तस्वीर बदल रही है। मध्यप्रदेश के समग्र विकास, हितग्राहियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ और निचले स्तर तक सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की स्थापना की गयी। योजनाओं के एकीकरण और क्रियान्वयन के लिए देश में यह पहला और अभिनव प्रयास है। इससे हमारे गाँव समावेशी विकास से समग्र विकास की ओर अग्रसर हैं। विकसित समृद्ध गाँव की कल्पना साकार रूप ले रही है। प्रस्तुत है समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग श्री गोपाल भार्गव से पंचायिका के लिए श्रीमती रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश-

- **ग्रामीण विकास को लेकर म.प्र. की आदर्श स्थिति के संदर्भ में आपकी क्या कल्पना है अथवा क्या प्राथमिकताएं हैं।**

●● मध्यप्रदेश का समग्र विकास हो। हितग्राहियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। प्रदेश में सुशासन हो, भ्रष्टाचार पर हर स्तर पर अंकुश लगे। सड़क, बिजली, पानी, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हों। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरत अनुसार रोजगार की व्यवस्था हो। स्वरोजगार के आयाम विकसित हों। यह सभी काम अपने-अपने स्वरूप में सुचारू रूप से हो गये तो निश्चित ही मध्यप्रदेश के गाँवों की तस्वीर बदलेगी और आदर्श विकास की स्थिति निर्मित होगी।

- **मध्यप्रदेश में समग्र विकास आपकी कल्पना अनुसार आकार ले, विकास योजनाओं का हितग्राहियों को पूरा लाभ मिले इसके लिए क्या प्रयास किये गये?**

●● मध्यप्रदेश में 89 से अधिक परिवार आधारित तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का हितग्राही को शत-प्रतिशत और आसानी से लाभ मिले इसके लिए देश में पहली बार मध्यप्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समग्र पोर्टल के रूप में अनोखी पहल की गयी। इसमें प्रत्येक परिवार को पोर्टल पर पंजीकृत कर उनकी पहचान तथा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 8 अंक का समग्र परिवार यूनिक आई.डी. जारी किया गया है। इसी तरह हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत कर 9 अंक का समग्र सदस्य यूनिक आई.डी. जारी किया गया है।

- **यह समग्र पोर्टल किस वर्ग के लिए**

है और कौन-कौन सी योजनाएँ शामिल हैं?

●● जैसा कि मैंने पहले बताया शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे - पेंशन सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, बीमा सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश, अंत्येष्टि सहायता एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के क्रियान्वयन के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग, कार्डधारी, निराश्रित वृद्धजन, विकलांग बच्चे, अनाथालय में निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग आदि का सर्वे कर फिर सत्यापन के बाद हितग्राही को उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

● **समग्र पोर्टल के लागू हो जाने से आप व्यवस्था में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं या करेंगे?**

●● एक बार समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज हो जाने के बाद बार-बार आवेदन करने की औपचारिकता नहीं रहेगी, हितग्राही को बिना किसी बाधा के सीधे अविलम्ब लाभ मिलेगा, हितग्राही का डाटाबेस तैयार हो जाने से डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिए पात्रता रखता है उसका उसे 100 फीसदी लाभ मिलेगा।

● **क्या समग्र आपकी अपेक्षानुरूप खरा उतरा है?**

●● बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है अंतिम पंक्ति के अंतिम हितग्राही को शासकीय योजना का लाभ मिले। इस पोर्टल से गाँव-गाँव में ई-बैंकिंग सुविधा जुड़ रही है। हितग्राही को लाभ, पेंशन, सीधे खाते में पहुँचेगी, जिसमें अत्यंत गरीब, निराश्रित, विकलांग, दूर-दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राही लाभान्वित हो सकेंगे और हमारा अंत्योदय का लक्ष्य पूर्ण हो सकेगा।

● **क्या इससे सुशासन की दिशा में कोई बदलाव आयेंगे?**

●● योजनाओं से लेकर हितग्राही को लाभ पहुँचाने तक की जानकारी पोर्टल पर होगी, सबके समक्ष होगी तो योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आयेगी और समय-समय पर समीक्षा भी होगी, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, आवेदन में दोहराव की स्थिति न होने से कार्य सुविधानुसार और समय पर होंगे, इससे सुशासन की व्यवस्था कायम होगी।

● **क्या क्षेत्र के विकास पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा?**

●● देखो भई जब लोगों की समस्या समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत निर्मित समग्र पोर्टल पर हल हो जायेगी, मूलभूत आवश्यकताएँ पूर्ण हो जायेंगी, तो व्यवस्था को मध्यप्रदेश के विकास के लिए, रचनात्मकता के साथ भावी योजनाओं के निर्माण के लिए समय मिलेगा, कार्य के अन्य क्षेत्र पर फोकस कर सकेंगे और विकास के विविध आयाम विकसित होंगे जिससे प्रदेश का विकास त्वरित गति से होगा और अधिक विस्तारित भी होगा।

● **क्या सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त कोई विकास योजनाएं तथा रोजगारमूलक योजनाएं भी शामिल हैं?**

●● पंच परमेश्वर योजना गाँव के समग्र विकास पर केन्द्रित है जिसमें सड़क, साफ सफाई के तहत नाली निर्माण, मकान, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जो समग्र के माध्यम से जोड़ी गयी हैं।

● **क्या समग्र रोजगार को लेकर कोई योजना है?**

●● विभिन्न विभाग विभिन्न रोजगारमूलक योजनाएं चला रहे हैं, स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, जो आगे चलकर समग्र से जुड़कर समग्र रोजगार कार्यक्रम का स्वरूप ले लेगी।

● **और किन क्षेत्रों को समग्र से जोड़ा जायेगा?**

●● भविष्य में आम आदमी का बीमा, कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं, मत्स्य विभाग, वन विभाग, तेंदूपत्ता योजना तथा अन्य विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

● **आप मध्यप्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

●● ग्राम की तस्वीर बदलने का विभाग का संकल्प है। अतः ग्राम का अधोसंरचना विकास, व्यक्तिमूलक तथा परिवारमूलक योजना का लाभ सीधा खाते में 'समग्र' के माध्यम से जा रहा है उसका उपयोग सभी हितग्राही लें।

मध्यप्रदेश को मिला वित्तीय समावेशन के लिए स्कॉच फायनेंशियल इन्क्लूजन डीपनिंग अवार्ड

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुए बेहतर कार्यों के लिए मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित स्कॉच फायनेंशियल इन्क्लूजन और डीपनिंग अवार्ड 2014 से 21 जून को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश का चयन इस अवार्ड के लिए बेस्ट स्टेट की श्रेणी में हुआ है। नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेंटर में मध्यप्रदेश को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अवार्ड मध्यप्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने सांसद मीनाक्षी लेखी और पूर्व कैग श्री विनोद राय से ग्रहण किया।

मध्यप्रदेश ने समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीण अँचलों के लिए काफी काम किया है। ग्रामीण अँचलों की तरक्की के लिए सुदूर अँचलों तक बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया गया है। वित्तीय समावेशन का लाभ जरूरतमंद सभी ग्रामीणों को आसानी से मिल सके, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्माल बैंक खोली जा रही हैं। प्रदेश में अब तक 2200 से अधिक अल्ट्रा-स्माल बैंक खुल चुकी हैं। इन बैंकों के जरिये 1500 करोड़ से अधिक का कारोबार हो चुका है।

वित्तीय समावेशन का लाभ सुनियोजित रूप से सुदूर अँचलों तक पहुँचाने की इस अनूठी पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। यूएनडीपी ने विगत 24 जनवरी को नई दिल्ली में इस विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। देश के कई राज्यों ने वित्तीय समावेशन के लिए मध्यप्रदेश मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई है। अब तक अनेक राज्यों के प्रतिनिधि-मंडल और वरिष्ठ अधिकारी मध्यप्रदेश के सुदूर अँचलों में भ्रमण कर अल्ट्रा स्माल बैंकों की कार्य-प्रणाली तथा वित्तीय समावेशन के मध्यप्रदेश मॉडल की सफलता का जायजा ले चुके हैं। श्रीमती अरुणा शर्मा ने अवार्ड ग्रहण करते हुए बताया कि विकास के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के 14 हजार 787 ऐसे गाँव खोजे गये थे, जहाँ ग्रामीणों को 20 से 90 किलोमीटर की दूरी तक बैंकिंग सुविधाओं के लिए आना-जाना पड़ रहा था। इस समस्या के निदान के लिए बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से उनके शेडो एरिया में ऐसे 2998 गाँव चुने गये थे, जहां अल्ट्रा-स्माल बैंकों के जरिये अब मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का त्वरित भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से हितग्राहियों को दी जा रही पेंशन राशि, विद्यार्थी की छात्रवृत्ति, साइकिल और गणवेश राशि तथा जननी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली सहायता राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे जमा हो रही है।

“ विकास के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के 14 हजार 787 ऐसे गाँव खोजे गये थे, जहाँ ग्रामीणों को 20 से 90 किलोमीटर की दूरी तक बैंकिंग सुविधाओं के लिए आना-जाना पड़ रहा था। इस समस्या के निदान के लिए बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से उनके शेडो एरिया में ऐसे 2998 गाँव चुने गये, जहां अल्ट्रा-स्माल बैंकों के जरिये अब मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का त्वरित भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। ”

ºÉ¤ÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ¨ÉOÉ

ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ Ê¨É¶ÉxÉ : ¨ÉvªÉ|Énä¶É ºÉ®EòÉ® ºÉ¨ÉÉVÉ Eò ºÉ¤ÉºÉ Eò¨ÉVÉÉä®, ÊxÉvÉxÉ ´ÉMÉ, ´É.r, ¸ÉÊ¨ÉEò ºÉ´ÉMÉ, ÊxÉ:¶ÉHòVÉxÉÉ Eò ºÉÉIÉ-ºÉÉIÉ EòxªÉÉ+É, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+É +É® {ÉÊ®iªÉHò ¨ÉÊ½±ÉÉ +É® =xÉ {É® +ÉÊ¸ÉiÉ ¤ÉSSÉÉ, ¤ÉÖ¨ÉÉ® ºÉnºªÉÉ EòÉ ºÉ¨{ÉhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉ Eò Ê±ÉB EòÊ¦ÉEòÎ±{ÉiÉ ½* ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ Ê¨É¶ÉxÉ ¨ÉvªÉ|Énä¶É Eòò ºÉ¨ÉºiÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò¨ÉÊ±ÉEò ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò ºÉÉlÉ +É® ºÉ¡ò±É ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ Eòò Ênä¶ÉÉ ¨É BEò +Ê¦ÉxÉ´É {ÉÊ½±É ½*

ºÉ¨ÉOÉ Ê¨É¶ÉxÉ Eò =qä¶ªÉ : ªÉÉVÉxÉÉ B´É ºÉÊ½ªÉiÉÉ ®É¶É Eò nÉ Eò ªÉÉÊHòªÉÉHòEò®hÉ* ÊxÉªÉ¨É B´É |ÉGòªÉÉ EòÉ ºÉ®±ÉÒEò®iÉ Eò®xÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉªÉGò¨É Eòò |ÉGòªÉÉ EòÉ Eò¨{ªÉ]õ®Eò®hÉ Eò®xÉÉ iÉlÉÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò¨ÉÊ±ÉEò VÉÉxÉEòÉ®Ò iÉlÉÉ EòÉªÉGò¨É Eòò VÉÉxÉEòÉ®Ò EòÉ {ÉÉ®nÌ¶ÉiÉÉ ½iÉ {ÉÉ]õ±É {É® ={É±É¤vÉ Eò®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ Eòò Ê½iÉOÉÉ½Ò¨ÉÊ±ÉEò ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò |É¦ÉÉ´ÉÒ ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ ½iÉ |Énä¶É Eò ºÉ¨ÉºiÉ xÉÉMÉÊ®EòÉ, {ÉÊ®´ÉÉ®É EòÉ BEòÒEòiÉ b]É¤ÉºÉ iÉªÉÉ® Eò®. ºÉÆvÉÉ®iÉ Eò®xÉÉ* Ê½iÉOÉÉ½Ò Eò ±ÉB ªÉlÉÉ ºÉ¦É´É BEò ½ò ºlÉÉxÉ {É® ºÉ¦Éò ºÉÉ´ÉÉB ¨ÉÉ½ªÉÉ Eò®ÉxÉÉ*

Eò ºÉÉlÉ

- {ÉÉjÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò EòÉ ÊxÉÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉvÉÉ Eò ÊxÉvÉÉÊ®iÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒ¨ÉÉ ¨É ºÉÉ½ÉªÉiÉÉ {É½SÉÉxÉÉ*
- ºÉ½ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ Eò ÊãÉB ¤ÉÉ®Ö-¤ÉÉ® +É{ÉÊÉ®EòiÉÉ+É EòÒ {ÉÊiÉ ºÉ ¤ÉSÉÉxÉÉ*
- Ê½iÉOÉÉÊ½ªÉÉ EòÉ bÉ]É¤ÉºÉ iÉèªÉÉ® Eò® bÉ]É¤ÉºÉ Eò +vÉÉ® {É® Ê½iÉOÉÉ½Ò ÊVÉºÉ ªÉÉVÉxÉÉ Eò ÊãÉªÉ {ÉÉjÉiÉÉ ®JÉiÉÉ ½, =ºÉ =ºÉ ªÉÉVÉxÉÉ EòÉ ±ÉÉ¦É {É½SÉÉxÉÉ*
- ºÉ½ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ Eò ÊãÉªÉ EòÉ¨É Eò ºÉ ºÉÉ¨ÉÉ Eò ¤ÉiÉÉ ªÉÉ ½iÉ <-¤ÉÉ°ÉÒ ºÉÉ´ÉÉ EòÉ ={ÉªÉÉMÉ Eò®xÉÉ*
- +iªÉiÉ MÉ®Ò¤É, ÊxÉ®IÉ®, ÊiÉ, Ê´ÉEò±ÉÉMÉVÉxÉ B´É n®-n®ÉVÉ ¨É ®½xÉ ´ÉÉ±É +É® ´ÉÊSÉiÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò iÉEò {É½SÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
- ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ ¨É {ÉÉ®nÌ¶ÉiÉÉ B´É Ê¤ÉªÉÉÊ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉäÉ*

Ê¶ÉÊIÉiÉ ºÉÉÊ½iªÉ ºÉ¨ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ´ÉäÉ ºÉÉ¨ÉÉVÉEò ºÉÊ¦ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨É¨ÉÉ ºÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò±ÉÉ ¦ÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ VÉºÉ ÊEò {É¶ÉÉxÉ ºÉ½ÉªÉiÉÉ, Ê´É´ÉÉ½ ºÉ½ÉªÉiÉÉ, UÉjÉ´ÉÊkÉ, Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉiºÉÉ½xÉ, ¤ÉÒ¨ÉÉ ºÉ½ÉªÉiÉÉ, |ÉºÉÊiÉ ºÉ½ÉªÉiÉÉ, |ÉºÉÊiÉ +´ÉEòÉ¶É ºÉ½ÉªÉiÉÉ, +iªÉÎ¹]Ö ºÉ½ÉªÉiÉÉ B´É Jhb ºÉ®IÉÉ +vªÉÉn¶É-2013 Eò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ +iÉMÉiÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¤ÉÒ.{ÉÒ.B±É. {ÉÊ®´ÉÉ® B´É |ÉÉIÉ¨ÉÉEòiÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® ÊVÉºÉ¨É ¸É¨ÉEò ºÉ´ÉÉ EòÉÊbÉÇ®Ò, ´ÉrÉ¸É¨É ¨É ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò® ®½ ÊxÉ®ÉÊ¸ÉiÉ ´ÉrVÉxÉ, Ê´ÉEò±ÉÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉSSÉ, +xÉÉIÉÉ±ÉªÉ ¨É ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò® ®½ ÊxÉ®ÉÊ¸ÉiÉ ¤ÉSSÉ, ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ®IÉÉ {É¶ÉxÉ Eò Ê½iÉOÉÉ½Ò, ¨ÉÊxÉºÉÉÊEò °ü{É ºÉ +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¤ÉÎ½Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½ÉªÉiÉÉ ªÉÉVÉxÉÉ Eò ±ÉÉ¦ÉÉlÉÒ Ê½iÉOÉÉ½Ò iÉIÉÉ +xªÉ EòÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ SÉEòÉ ½, +É® ºÉiÉiÉ |ÉÊGòªÉÉ Eò iÉ½iÉ +xªÉ Ê½iÉOÉÉÊ½ªÉÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®½É ½* ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ={É®ÉÆiÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò EòÉ =ºÉEòÒ {ÉÉjÉiÉÉ Eò +xÉºÉÉ® Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ªÉÉVÉxÉÉ+É EòÉ ±ÉÉ¦É |ÉnÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½*

ºÉ¨ÉÉ {ÉÉ]±É {É® |ÉnÌ¶ÉiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ®iÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®´ÉÉ® iÉIÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® Eò ºÉnºªÉÉ EòÒ ºÉ{ÉhÉ VÉÉxÉEòÉ®Ò VÉºÉ ÊEò xÉÉ¨É, Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É, VÉÉÊiÉ, ´ÉMÉ ºÉÆJªÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ, Ê´É´ÉÉÊ½EòÉ ÎºlÉÊiÉ, Ê´ÉEòiÉ½ÒxÉiÉÉ, ºÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ ªÉÉVÉxÉÉ Eò Ê½iÉOÉÉ½Ò, ¤ÉºÉÒiÉ JÉÉiÉÉ xÉ¨¤É®, ¤ÉÒ.{ÉÒ.B±É., Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ <iªÉÉÊn EòÉ bÉ]É ={É±É¤vÉ ½, {ÉÉ]±É EòÒ BEò ¨ÉÖJªÉ Ê´É¶ÉÉä¹ÉiÉÉ ªÉ½ ½ ÊEò {ÉÉ]±É {É® VÉºÉ ½Ò xÉªÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê¶É¶É EòÉ VÉÉ¨É ¸ÉÊ¨ÉEò EòÉ =ºÉEòÉ xÉÉ¨É {ÉÉ]±É {É® nVÉ ½É VÉÉiÉÉ ½* VÉºÉ ½Ò ´É½ iÉÒxÉ ´ÉºÉ EòÒ +ÉªÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉiÉ {É½SÉÉ ´É½ +ÉMÉ´ÉÉc ¨É |É´É¶É EòÒ ºÉ¨ÉÒiÉ Eò +ÉvÉÉ® {É® ºÉÉ¨ÉÉVÉEò ºÉÉ´ÉÉ ºÉ =ºÉEò ±ÉÉ¦É ºÉ¨¤ÉÊvÉiÉ ºÉºlÉÉ ¨É ºÉSÉxÉÉ ¦ÉÒ ºÉÉlÉ ½Ò ¦ÉÉxÉ ¦ÉÒ ªÉÉVÉxÉÉ ¨É {ÉÉjÉiÉÉ Eò ºÉÊiÉ ºÉ ºÉ¨ÉÉªÉ ºÉÒ¨ÉÉ ¨É ={ÉÉªÉ ´É¹É ºÉ 12 ´ÉÉ iÉEò Eò ºÉ±ÉÉ ¨É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® UÉjÉ´ÉÊkÉ Eò +ÊnxÉ {ÉjÉ |É®xÉ EòÒ +É{ÉSÉÉÊ®EòiÉÉ ºÉ ¤ÉSÉÉ, 18 ´É¹É ºÉ >ð{É® EòÒ EòxªÉÉ, VÉÉ ¤ÉÒ.{ÉÒ.B±É. ¸ÉhÉÒ EòÒ ½Ê´ÉÉ½ ºÉ½ÉªÉiÉÉ EòÒ ºÉSÉÒ ¨É ´É½ =ºÉ±ÉÉvÉ ®½MÉÒ* VÉÉ Ê½iÉOÉÉ½Ò MÉ®Ò¤ÉÒ ®JÉÉ Eò xÉÒSÉ VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ Eò®iÉ ½ +É® =ºÉEòÒ =¨É 60 ´É¹É ºÉ +ÊvÉEò ½Éä ´É½ {É¶ÉxÉ Eò ±ÉÉ¦É {ÉÉjÉiÉÉ EòÒ ¸ÉhÉÒ ¨É +ÉªÉMÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®´ÉÉ® ¨É ªÉÊn EòÉ¨ÉÉ Eò®xÉ ´ÉÉ±É {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¨ÉiªÉ ½ÉiÉÒ ½ iÉÉ =ºÉEòÒ ¨ÉiªÉ Eò iÉÒxÉ ¨ÉÉ½ ¨Éä¤ÉÉ®ÉiÉ ºÉ½ÉªÉiÉÉ Eò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ {ÉiÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ {É¶ÉxÉ ºÉ´ÉÒEòiÉ ½ÉxÉ ±ÉMÉMÉÒ* 22 {ÉÉjÉiÉÉ ¸ÉÊhÉªÉÉ ¨É +ÉxÉ ´ÉÉ±É ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÉjÉ {ÉÊ®´ÉÉ® EòÉ ®Ê¹]ÅÒªÉ JÉÉt ºÉÖ®IÉÉ EòÉ ±ÉÉ¦É ¦ÉÒ ÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòMÉÉ*

ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ.
iÉIÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ.

ºÉ¨ÉÉ {ÉÉ]±É {É® |Énä¶É ¨É ÊxÉ´ÉÉºÉ®iÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®´ÉÉ®É +É® {ÉÊ®´ÉÉ® Eò ºÉnºªÉÉ EòÉ {ÉÆVÉÒªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½* {ÉÉ]±É {É® {ÉÊ®´ÉÉ® iÉIÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® Eò ºÉnºªÉÉ Eò {ÉÆVÉÒªÉxÉ Eò ºÉÉlÉ ½Ò ºÉ¨ÉÉ {ÉÉ]±É ºÉ º´ÉiÉ: ½Ò {ÉÊ®´ÉÉ® Eò ÊãÉB 8 +ÆEò EòÉ ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ. B´É {ÉÊ®´ÉÉ® ºÉnºªÉ Eò ÊãÉB 9 +ÆEò EòÉ ºÉ¨ÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ. VÉxÉ®äÊ]b ½É VÉÉiÉÒ ½ ªÉ½ ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ. iÉIÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ªÉÉVÉxÉÉ EòÉ ±ÉÉ¦É |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ ¨É ºÉ½ÉªÉEò ½ÉiÉÉ ½* ªÉ½ nÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ. iÉIÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ. BEò ªÉÚÊxÉEò +É<.b¤ÉÒ. ½*

ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ. iÉIÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ. EòÉ½É ºÉ |ÉÉ{iÉ Eò®

ºÉ¨ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® +É<.b¤ÉÒ. iÉIÉÉ ºÉnºªÉ +É<.b¤ÉÒ. |ÉÉ{iÉ Eò®xÉ Eò ÊãÉB +{ÉxÉ IÉjÉ Eò OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ, VÉxÉ{Én {ÉSÉÉªÉiÉ, xÉMÉ®ÒªÉ ÊxÉEòÉªÉ (xÉMÉ® ÊxÉMÉ¨É), xÉMÉ® {ÉÉÊ±ÉEòÉ, xÉMÉ® {ÉSÉÉªÉiÉ

[illegible] (http://samagra.gov.in/) [illegible]

[illegible]

जीवन बने आसान
समग्र
से हर समाधान

[illegible]

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2013-14

हितग्राहियों को हस्तांतरित राशि

सं.क्र.	योजना का नाम	लाभार्थियों का नम्बर	हस्तांतरित राशि
1.	मनरेगा	5730415 (अकुशल श्रमिक)	168007 लाख
		235877 (अर्धकुशल/विक्रेता)	76700 लाख
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	13,33,783	32768.19 लाख
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	4,27,720	11319.59 लाख
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	96,353	3229.68 लाख
5.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	26,431	3275.13 लाख
6.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	9,56,460	15743.41 लाख
7.	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	17,803	312.52 लाख
8.	बहु विकलांगता वाले अथवा मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिये विशेष वित्तीय सहायता	38,983	1957.75 लाख
9.	समग्र एकीकृत छात्रवृत्ति	45,27,629	25179.21 लाख
	कुल	**1,33,91,454**	**3,38,522.48 लाख**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

• हेमलता हरमाड़े

वरिष्ठजन तथा निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर अमल हो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने वरिष्ठजन और निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रमों के बेहतर अमल पर जोर दिया है। श्री भार्गव 3 जून को भोपाल स्थित मंत्रालय में सामाजिक न्याय विभाग की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं।

इस अवसर पर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 के क्रियान्वयन के लिये गठित राज्य परिषद की बैठक भी हुई। साथ ही मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा भी की गई।

मंत्री श्री भार्गव ने निःशक्तजनों के लिये शासकीय कार्यालय, स्कूल और अस्पतालों में बाधारहित वातावरण उपलब्ध करवाये जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में निःशक्त विद्यार्थियों के प्रवेश में किसी भी प्रकार की अड़चनें नहीं आना चाहिये। शासकीय विभागों में निःशक्तजनों के लिये आरक्षित 6 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के लिये वाक-इन इन्टरव्यू व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने कहा कि इन पदों पर भर्ती जाति आधारित आरक्षण के बजाय निःशक्त प्रत्याशियों की उपलब्धता के अनुसार सुनिश्चत हों।

उन्होंने निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये चिकित्सा परीक्षण दलों को संबधित संस्थाओं में भिजवाये जाने के लिये भी निर्देशित किया। वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ आवश्यक रूप से दिये जाने तथा 1 रुपये किलो की दर से 5 किलो गेहूँ अथवा चावल भी नियमानुसार देने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये सभी थानों में होर्डिंग्स अथवा दीवार लेखन कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये।

सचिव एवं आयुक्त सामाजिक न्याय श्री व्ही.के. बाथम ने वरिष्ठजन तथा निःशक्तजन कल्याण की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठजन के लिये शीघ्र निःशुल्क हेल्प लाइन भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद द्वारा निःशक्त लोगों को विभिन्न रोजगारमूलक कार्यों के लिये उपलब्ध करवाई गई ऋण सहायता के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक में सभी ऋण प्रकरणों की समीक्षा एवं निरीक्षण कर समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिये भी निर्देशित किया गया।

राज्य स्तरीय समितियों के अशासकीय सदस्यों में से आरुषि के श्री अनिल मुदगल, सेवाधाम आश्रम उज्जैन के संचालक श्री सुधीर भाई गोयल, एडव्होकेट श्री ज्ञानेन्द्र पुरोहित, वरिष्ठजन नागरिक समिति भोपाल के श्री जी.के. सारस्वत ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में सचिव स्वास्थ्य श्रीमती सूरज डामोर, आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री बलदीप सिंह मैनी के साथ ही सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, गृह, स्कूल शिक्षा तथा कौशल उन्नयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

गाँव की तस्वीर बदलने का संकल्प

मध्यप्रदेश में समावेशी विकास के लिए हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, योजनाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। इस मिशन के लागू होने से ग्राम की तस्वीर बदल रही है। प्रस्तुत है समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा कार्यक्रम की अवधारणा, आवश्यकता और परिणाम को लेकर अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय श्रीमती अरुणा शर्मा से पंचायिका के लिए श्रीमती रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश -

● **समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?**

●● राज्य शासन के अलग-अलग विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का एकीकरण करने, सरल व्यवस्था के साथ पारदर्शिता कायम करने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की स्थापना पर विचार बना ताकि समाज के कमजोर तबकों, वृद्धजन, नि:शक्तजन, श्रमिक संवर्ग, कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्त महिला तथा उन पर आश्रित बच्चों और बीमारजनों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा सके।

● **मध्यप्रदेश में शासकीय हितग्राहीमूलक योजनाएं तो पूर्व से संचालित हैं, ऐसी स्थिति में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा क्या मूलभूत बदलाव की स्थिति बनी।**

●● इस मिशन के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सभी योजनाओं को एकीकृत प्रणाली में शामिल कर वास्तविक हितग्राहियों को उनका लाभ पहुँचाया जायेगा। मिशन के अंतर्गत निर्मित समग्र पोर्टल के द्वारा आसानी से यह पता लग जायेगा कि एक परिवार को कितनी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी दोहराव से बचा जा सकेगा, निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा योजना, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से होगा। समग्र के माध्यम से अब तक 1,33,91,454 हितग्राहियों को 3,385 करोड़ रुपये का खाते में सीधा भुगतान किया गया।

● **समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वित्तीय संस्थाएँ सहयोग प्रदान करें। इस संबंध में आपकी क्या योजना है ?**

●● सुदूर ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएँ मुहैया करवाने तथा अल्ट्रा स्माल बैंकों के जरिए हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुँचाने के लिए मध्यप्रदेश में वित्तीय समावेशन मॉडल समृद्धि लागू किया गया। इसमें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित 14 हजार 667 गांवों के लिए करीब 3 हजार अल्ट्रा स्माल बैंकों की स्थापना की जा रही है। पहले दूर-दराज के गाँवों में बैंकिंग सुविधाओं के लिए लोगों को 20 से 90 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता था। समृद्धि नवाचार के द्वारा लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एक अल्ट्रा स्माल बैंक स्थापित हो जायेगी।

● **इसके कोई परिणाम निकलकर आये हैं ?**

●● हाँ बिल्कुल, इन अल्ट्रा स्माल बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ का स्थानान्तरण हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में बी.पी.एल. परिवारों, वृद्धजन, निराश्रित, नि:शक्तजन और विधवाओं को सरकार से मिलने

वाली आर्थिक सहायता तथा पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो रही है। इन खातों के खुल जाने से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा, उनके धन की रक्षा, लोन की सुविधा के साथ बचत की प्रवृत्ति से परिवार में समृद्धि आ रही है।

- **समग्र कार्ड क्या है?**

●● समग्र कार्ड एक ऐसा बहुउपयोगी कार्ड है जिसमें नागरिक को उसके परिवार एवं व्यक्ति के समग्र नम्बर का ज्ञान रहेगा जो योजना से हितग्राही को लाभ लेने में सहायक है। प्रत्येक नागरिक को 8 अंक का समग्र परिवार यूनिक आई.डी. तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत कर 9 अंक का समग्र सदस्य यूनिक आई.डी. अंकित रहता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड की तरह भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का यह छोटा कार्ड पानी, धूप से क्षतिग्रस्त नहीं होगा।

- **मध्यप्रदेश में यह कार्ड कब तक बंट जायेंगे?**

●● इस संबंध में प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा।

- **समग्र सामाजिक कार्यक्रम का अगला पड़ाव क्या है?**

●● इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य सुविधाएँ, कृषि से संबंधित सुविधाएँ, कानून व्यवस्था से संबंधित सुविधाओं तक ले जायेंगे। हमारा लक्ष्य है कि समग्र स्मार्ड कार्ड आधार का विकल्प बने।

- **आप पंचायिका के माध्यम से पाठकों को तथा विभाग से संबंधित लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी?**

●● समावेशी विकास से गाँव की तस्वीर बदल रही है। मध्यप्रदेश के गाँव सीमेंट, कांक्रीट रोड, पक्की नाली, पक्के मकान, स्कूल तथा आँगनवाड़ी में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, पंचायत भवन, पाँच किलोमीटर की वित्तीय संसाधन की सुविधा की ओर अग्रसर हैं। आप सभी योजनाओं का लाभ लें और गाँव की समृद्धि में सहभागी बनें।

समग्र से मिले सभी को लाभ

वी.के. बाथम
आयुक्त, सह सचिव
सामाजिक न्याय विभाग

राज्य शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने, सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखने और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मध्यप्रदेश की विधानसभा में 14 मई 2010 को संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पारित किया गया। समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण तक सीमित रखा जाये इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ विभिन्न चरणों में बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावों में महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग की योजनाओं को लिये जाने पर चर्चा हुई। 30 जून 2010 को बैठक में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई और उद्देश्य निर्धारित किये गये तथा इस पर सभी विभागों से अभिमत प्राप्त किया गया। 7 जुलाई 2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में श्रमिक संवर्ग पर केन्द्रित 5 महत्वपूर्ण योजनाओं- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भूमिहीन खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना, हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना, शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना और हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक योजना पर चर्चा की गई।

इन योजनाओं के अवयव लगभग समान थे और एक से अधिक विभाग इन्हें क्रियान्वित कर रहे थे। इन योजनाओं का युक्तियुक्तकरण करने और सेवा प्रदाय स्थल को बेहतर बनाने आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई 2010 को प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विभिन्न बैठकों के बाद समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की एक रणनीति तैयार की गई तथा उसके उद्देश्य निर्धारित किये गये इन उद्देश्यों में योजना एवं कार्यक्रम का युक्तियुक्तकरण एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण, नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना, पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना, हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मुहैया कराना तथा योजना एवं कार्यक्रम की जानकारी का प्रचार-प्रसार शामिल है।

विभिन्न बैठकों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता योजनाएं स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं, श्रमिक संवर्ग से जुड़े विभाग और उनके द्वारा संचालित योजना तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना, बीमा, विवाह सहायता आदि योजनाएं जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक थी, इन सबके परीक्षण और इनमें जटिलताओं को दूर करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तीन टास्क फोर्स समूह का गठन किया गया।

इन टास्क फोर्स में प्रथम समूह - स्वास्थ्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश एवं चिकित्सा सहायता। द्वितीय समूह - छात्रवृत्ति अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति, शिष्यावृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन तथा तृतीय समूह - सामाजिक सुरक्षा के लिये सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन, पेंशन योजनाएं, बीमा एवं अनुग्रह तथा अंत्येष्टि सहायता योजना। समूह के द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 10 नवम्बर 2010, 15 जून 2011 तथा 16 फरवरी 2012 को तीन बार बैठक आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभिन्न विभागों के मंत्रियों के परामर्श और उनकी सहमति के उपरांत तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इंगित किये गये बिन्दुओं पर उनको संतोषजनक उत्तर देकर उनका अभिमत लेने के उपरान्त 30 अप्रैल 2012 को मंत्रिपरिषद् के समक्ष समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की संक्षेपिका के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव अंतर्गत-

- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का नोडल विभाग सामाजिक न्याय विभाग रहेगा।
- चिकित्सा संबंधी, श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में उल्लेखित अवयवों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उनके माध्यम से संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के साथ-साथ क्रियान्वित की जाएगी जिसमें जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति अवकाश सहायता योजना को भी रखा गया।
- छात्रवृत्तियों की दरों में भिन्नता को छोड़ते हुये अन्य बिन्दुओं जिसमें छात्रवृत्ति के एक आवेदन पर और स्वीकृति प्रक्रिया तथा एक से अधिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को समय पर उपलब्ध हो इसका दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया।
- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जिसमें विवाह प्रोत्साहन सहायता, पेंशन एवं अनुग्रह, बीमा, अन्त्येष्टि सहायता आदि दायित्व सामाजिक न्याय विभाग को सौंपा गया।

मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव स्तर से साप्ताहिक बैठकें प्रारंभ की गई। 27 जुलाई 2012 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसे मिशन मोड में चलाया जाये और एक ओर मिशन संचालक की पदस्थापना की जाये। इसे मिशन मोड में चलाने के साथ मिशन संचालक की पदस्थापना 28 अगस्त 2012 को की गई।

हितग्राही को यथा समय एक ही स्थान पर सहायता उपलब्ध हो इसके लिए मानव संसाधन भी मिशन को उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया था जिसके लिये विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के पद निर्मित किये गये हैं तथा मिशन के अंतर्गत मिशन संचालक के अलावा अपर मिशन संचालक जो वित्त विभाग तथा प्रशासनिक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। जिले के कलेक्टर को मिशन लीडर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को डिप्टी मिशन लीडर बनाया गया है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्रमांक-3 पारदर्शिता एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से विभाग ने पूरा किया। इस कार्य में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के श्री सुनील जैन तकनीकी निदेशक तथा उपमिशन संचालक (आई.टी.) की महती भूमिका रही है। इसके अंतर्गत नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को जो किसी न किसी योजना के हितग्राही वर्तमान में हैं और भविष्य में संभावित है, को ध्यान में रखते हुए पोर्टल तैयार किया गया जिसमें हितग्राही का नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, बैंक व खाता विवरण, किन-किन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत, गरीबी रेखा का स्तर एवं बचत खाते आदि जानकारी रखी गई हैं। इस पोर्टल में परिवार के साथ व्यक्ति आधारित जानकारी संधारित की गई है क्योंकि शासन की कई योजनाएं परिवार पर आधारित हैं और कुछ योजनाएं हितग्राहीमूलक हैं। इन दोनों का समावेश करना चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह कार्य इसलिये आधार से संबंधित नहीं था क्योंकि आधार परिवार पर आधारित नहीं है और उसको श्रमिक संवर्ग से जुड़े हुए लोगों की कोई जानकारी नहीं है। आज की तिथि में हितग्राहियों की लगभग 90 प्रतिशत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। लगभग सात करोड़ 50 लाख नागरिकों का डाटाबेस तैयार है। इस पोर्टल पर उपलब्ध नागरिकों की जानकारी से योजनावार हितग्राहियों का सत्यापन का कार्य भी मिशन द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के परिणाम

- शत-प्रतिशत हितग्राहियों के सत्यापन एवं योजनाओं के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा।
- अपात्र हितग्राहियों को कार्यक्रमों से दूर किया जायेगा।
- हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर अधिकारिता स्वरूप त्वरित लाभ प्राप्त होगा।
- आवंटन के अभाव और आवंटन का असमान वितरण की समस्या समाप्त हो जायेगी।
- योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी। हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण पोर्टल रहेगा।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों को नागरिकों की सत्यापित जानकारी बचत खाता खोलने में सहायक होगा।
- हितग्राही को बार-बार आवेदन करने एवं बार-बार के सत्यापन कार्य से मुक्ति मिलेगी।

पात्रता से अधिकारिता की ओर ...

संकेत भोंडवे
मिशन संचालक समग्र, सामाजिक सुरक्षा मिशन

मध्यप्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा समग्र पोर्टल का निर्माण किया गया। योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को त्वरित गति से पहुँच सके एवं योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे इसके लिए समग्र पोर्टल पर, जनसंख्या पंजी पोर्टल, समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल, समग्र शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, समग्र विवाह पोर्टल, स्पर्श पोर्टल तैयार किये गये।

मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ मूल हितग्राही को सही समय और सरलता से मिले, सुशासन व्यवस्था कायम हो और प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर हो। लगातार चिंतन और विचार-विमर्श के बाद समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की स्थापना की गयी। मिशन अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मध्यप्रदेश की समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक अनूठी पहल है। मिशन का उद्देश्य योजना तथा सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण, नियम प्रक्रिया को सरल करना, विभिन्न कार्यक्रमों का कम्प्यूटरीकरण कर जानकारी को पोर्टल पर उपलब्ध करना, शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेशवासियों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना। **"हमने सर्वप्रथम सर्वे कर नागरिक एवं परिवार केन्द्रित एकीकृत डाटाबेस तैयार किया।"** जिससे डाटाबेस के आधार पर हितग्राहियों को पात्रतानुसार योजना का लाभ प्राप्त करना संभव हुआ है। इससे बार-बार आवेदन करने के दोहराव से बचाव हुआ, पात्र हितग्राही के निर्धारित समय सीमा में सहायता उपलब्ध हुई है। ई-बैंकिंग सुविधा से राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुँच रही है। वित्तीय समावेशन के समृद्धि मॉडल से दूर दराज में निवासरत वंचित हितग्राहियों तक पहुँच संभव हुई। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा से एक सुशासन व्यवस्था व्यापक करने में मदद मिली है। **"समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग, नि:शक्तजन कन्याओं, विधवाओं परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के संकल्प का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। पात्रता से अधिकारिता की ओर सामाजिक सुरक्षा का यह मिशन आकार ले रहा है।"**

मिशन द्वारा समग्र पोर्टल का निर्माण किया गया। योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को त्वरित गति से पहुँच सके एवं योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे इसके लिए समग्र पोर्टल पर, जनसंख्या पंजी पोर्टल, समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल, समग्र शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, समग्र विवाह पोर्टल, स्पर्श पोर्टल तैयार किये गये। इन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण, हितग्राहियों का सत्यापन उपरांत पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश में 89 से अधिक परिवार आधारित हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह एक अभिनव पहल हुई है। समग्र के जरिए हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा अपात्र हितग्राहियों को अचिन्हांकित कर योजनाओं का लाभ असल हितग्राहियों को दिलाने के लिए घर-घर सर्वेक्षण कर जानकारियाँ संकलित की गई हैं। अब तक एक करोड़ 87 लाख 98 हजार 630 परिवार तथा 7 करोड़ 94 लाख 96 हजार 655 सदस्य से संबंधित कर ऑनलाइन डाटाबेस समग्र जनसंख्या पंजी पर उपलब्ध कराया जा चुका है। देश में इस तरह की अनूठी पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। जहाँ पात्रता से अधिकारिता की ओर सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते कदम आकार ले रहे हैं।

समग्र से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। 0755-2558391, Email : mdcmsssm@gmail.com

समग्र पोर्टल पर नये परिवार और परिवार सदस्यों का पंजीयन

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निवासी सभी परिवारों और व्यक्तियों का समग्र पोर्टल पर एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डाटाबेस से विभिन्न परिवार और हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलता और पारदर्शिता के साथ अमल में लाया जा सकेगा। इस मकसद से सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में परिवार और परिवार सदस्यों के पंजीयन की सघन मुहिम चलाई जा रही है।

यह कार्य बेहतर रूप से संपन्न हो सके इसके लिये ग्रामीण निकायों में ग्राम रोजगार सहायक और नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों को ग्राम या वार्ड पंजीयक के रूप में तैनात किया जा रहा है। ये पंजीयक समग्र पोर्टल पर नवीन परिवारों का पंजीयन, अपडेशन और विलोपन की कार्रवाई के लिये जिम्मेदार होंगे। इस बारे में समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर) और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जो डिप्टी मिशन लीडर भी है उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गये हैं।

संचालक मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि जिन परिवारों और परिवार सदस्यों का पंजीयन अब तक समग्र पोर्टल पर नहीं हो सका है, उन्हें समग्र पंजी फार्म में जरूरी जानकारियां भरकर समग्र पंजीयक के पास जमा कराना होगा। परिवारों एवं परिवार सदस्यों के संबंध में जो जानकारी फार्म में दर्ज होगी उसमें आयु, जाति, मूल निवास, विकलांगता, बीपीएल, श्रमिक संवर्ग से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज साथ में जमा करना होंगे। इन जानकारियों का सत्यापन हो जाने के बाद संबंधित परिवार को 8 अंकों की यूनिक समग्र परिवार आईडी उपलब्ध कराई जावेगी। इसी तरह परिवार के हर सदस्य को 9 अंकों की यूनिक समग्र सदस्य आईडी दी जावेगी। संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में नियुक्त पंजीयक पापुलेशन रजिस्टर से ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार पंजीकृत समस्त परिवारों और सदस्यों की सूची को डाउनलोड कर कम्प्यूटर में ऐसे सभी विवरण सुरक्षित रखेंगे। इस सूची के मुद्रण के बाद रजिस्टर में भी दर्ज किया जावेगा। एक व्यक्ति की एक से अधिक समग्र आईडी नहीं बनाई जा सके इस बारे में भी जरूरी हिदायतें और सावधानियाँ बरती जावेंगी। समग्र पंजीयक पापुलेशन रजिस्टर में दर्ज विवरणों में से ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार हर परिवार और सदस्यों के विवरण की पड़ताल करेंगे। वे इस सूची को देख कर जो परिवार तथा सदस्य संभवत: एक से अधिक बार पंजीकृत हुए हैं, उनका विवरण विलोपित करेंगे। इसी तरह किसी पंजीयक के कार्यक्षेत्र में यदि किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है या किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो स्व-प्रमाणीकृत जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म की जानकारी जोड़ना और मृत सदस्यों का विवरण विलोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। पंजीयक एवं जनपद पंचायत या नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करेंगे और यह प्रमाणित करेंगे कि उनके क्षेत्र के समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन समग्र पोर्टल पर कर लिया गया है। इस प्रकार के डाटा संग्रहण में किसी भी तरह की अनियमितता के मामलों में संबंधित पंजीयक जवाबदेह होंगे।

● **देवेन्द्र जोशी**

म ध्यप्रदेश में 89 से अधिक परिवार आधारित तथा हितग्राही-मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को एकीकृत प्रणाली में शामिल कर वास्तविक हितग्राहियों को सही तरीके से लाभ पहुँचाने के मकसद से ही समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। 4 जून को भोपाल में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पर एक-दिवसीय कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय श्रीमती अरुणा शर्मा ने समग्र पोर्टल पर दर्ज सभी विवरण का शत-प्रतिशत सत्यापन कर असल हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने की जरूरत बताई। कार्यशाला में समग्र डाटाबेस के संकलन तथा सत्यापन कार्य में जुटे डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स तथा लोक सेवा गारंटी केन्द्र के मैदानी अमले ने भी भागीदारी की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि समग्र के जरिये यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि एक परिवार को कितनी शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है। इससे जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी आसानी से हासिल हो सकेगी। समग्र के जरिये स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा योजना, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। प्रारंभ में संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री संकेत भोंडवे ने समग्र के जरिये शासकीय योजनाओं को एकीकृत प्रणाली के जरिये सुचारू रूप से हितग्राहियों तक पहुँचाने के प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। समग्र पोर्टल के जरिये कमजोर तबकों, वृद्धजन, निःशक्तजन, श्रमिक संवर्ग, कन्या, विधवा और परित्यक्ता महिला तथा उन पर आश्रित बच्चों और बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। समग्र के जरिये हितग्राही-मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा अवैध हितग्राहियों को चिन्हांकित कर योजनाओं का लाभ असल हितग्राहियों को दिलवाने के लिये घर-घर सर्वेक्षण कर जानकारी संकलित की गई है।

समग्र पोर्टल से असल हितग्राहियों को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

मध्यप्रदेश में 89 से अधिक परिवार आधारित तथा हितग्राही-मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को एकीकृत प्रणाली में शामिल कर वास्तविक हितग्राहियों को सही तरीके से लाभ पहुँचाने के मकसद से ही समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। समग्र के जरिये स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा योजना, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आसानी होगी। इससे जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी आसानी से हासिल हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि अब तक एक करोड़ 87 लाख 98 हजार 630 परिवारों तथा 7 करोड़ 94 लाख 96 हजार 655 सदस्यों से संबंधित प्रोफाइल का ऑनलाइन डाटाबेस समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जा चुका है। देश में इस तरह की अनूठी पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। प्रत्येक परिवार को पोर्टल पर पंजीकृत कर उसकी पहचान एवं योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये 8 अंक का समग्र परिवार यूनिक आई.डी. जारी किया गया है। इसी तरह हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत कर 9 अंक का समग्र सदस्य यूनिक आई.डी. जारी किया गया है। कार्यशाला में डिप्टी मिशन डायरेक्टर श्री सुनील जैन सहित विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों ने भी समग्र पोर्टल के सुचारू क्रियान्वयन के बारे में जानकारियाँ दीं।

● देवेन्द्र जोशी

समग्र पेंशन पोर्टल

पेंशन योजनाओं के पारदर्शी तथा सरलीकृत रूप से क्रियान्वयन के लिये समग्र पेंशन पोर्टल का विकास किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध एवं विकलांगजनों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 6 प्रकार की हितग्राहीमूलक पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पोर्टल पर 28 लाख पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन कर पेंशन हितग्राहियों का ऑनलाइन प्रमाणिक डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक माह स्वीकृत किये गये नवीन पेंशन हितग्राहियों की जानकारी भी पोर्टल पर सतत् अद्यतन की जाती है।

डेटाबेस का विश्लेषण कर पोर्टल से ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित किया गया जो पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें सिस्टम द्वारा स्वतः ही हटाकर उनकी सूची उपलब्ध कराई जाती है। ऑनलाइन सत्यापन के दौरान ऐसे हितग्राहियों की पेंशन रोक दी गई जो कि मृत पाये गये हैं अथवा उपलब्ध नहीं हैं।

पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन होने एवं जिला स्तर से भुगतान होने से स्थानीय निकाय में पेंशन वितरण हेतु रखी पूर्व के वर्षों की राशि पुनः शासन को प्राप्त हुई ।

पेंशन प्रकिया का कम्प्यूटरीकरण के द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पेंशन का भुगतान करने के लिये आवश्यक तंत्र का विकास किया गया है। सभी पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जिला स्तर से सीधे हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा है। प्रत्येक माह नवीन हितग्राहियों को स्वीकृत की गई पेंशन तथा प्रत्येक माह बंद की गयी पेंशन की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।

पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है जो पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर किसी पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण करते हैं किंतु पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस तरह पात्रता के आधार पर हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने की पहल की गई है। पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई जो पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल के अनुसार अगले दो माह में संभवतः किसी पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण करेंगे ऐसे व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर पेंशन का लाभ प्रदान करने की पहल की गई।

● नवीन शर्मा

समग्र स्पर्श पोर्टल

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में लगभग 15 लाख निःशक्तजन हैं। प्रदेश में निवासरत समस्त निःशक्तजनों का चिन्हांकन एवं सत्यापन स्पर्श समग्र पोर्टल पर किया जाना है जिससे कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही प्रणाली के माध्यम से निःशक्तजनों को उपलब्ध कराया जा सके।

- समग्र पोर्टल पर किसी पेंशन योजना एवं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राही को सत्यापित मानकर अन्य विभागों द्वारा व्यक्ति को निःशक्त मानकर पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
- मानसिक रूप से अविकसित/बहुविकलांग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों को खाद्य विभाग द्वारा पात्र मानकर खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- स्पर्श समग्र पोर्टल पर ऐसे निःशक्तजनों की सूची उपलब्ध रहेगी जिन्हें किसी योजना अंतर्गत सत्यापित कर लाभांवित किया जा रहा है।
- स्पर्श समग्र पोर्टल पर ऐसे निःशक्तजनों की सूची उपलब्ध रहेगी जिन्होंने सर्वे के दौरान स्वयं को निःशक्त बताया था किंतु उनका निःशक्त के रूप में सत्यापन स्पर्श समग्र पोर्टल पर होना शेष है।
- स्पर्श समग्र पोर्टल पर निःशक्तता प्रमाण पत्र की जानकारी को प्रमाणित करने के उपरांत निःशक्त व्यक्ति स्वयं भी निःशक्तता प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा।
- कोई भी सत्यापित निःशक्त व्यक्ति ऑनलाइन ही योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन कर सकेगा।
- योजना के अंतर्गत किन-किन निःशक्तजनों को लाभांवित किया गया है एवं लंबित आवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

● अभिलेष स्वामी

समग्र विवाह पोर्टल

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, निकाह योजना एवं निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये इससे संबंधित समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर ऑनलाइन कर दिया गया है इस पोर्टल का उपयोग समस्त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा किया जा रहा है।

- समस्त विवाह कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा पोर्टल पर दर्ज कर जनसामान्य को सूचना देने के लिये पोर्टल पर प्रदर्शित की जा रही है, विवाह कार्यक्रम की सूचना के आधार पर कन्या या उसके अभिभावक विवाह सहायता के लिए संबंधित निकाय में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करते समय ऐसी कन्या जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम है तो उनके आवेदन पोर्टल द्वारा स्वतः ही अस्वीकृत किये जा रहे हैं जिससे योजना अंतर्गत बाल विवाह संभव नहीं हैं।
- विवाह उपरांत विवाह प्रमाण पत्र भी पोर्टल से जारी किये जा रहे हैं।
- कन्या शादी के उपरांत स्वतः ही वर के परिवार के सदस्य के रूप में पंजीकृत हो जाती है साथ ही दोनों परिवारों की जानकारी भी स्वतः अपडेट होने से राशन कार्ड भी स्वतः अपडेट हो जाता है।
- विवाह कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई सामग्री की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध।
- विवाह सहायता का आर्थिक लाभ सीधे कन्या के बचत खाते में।
- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अंतर्गत विकलांगजनों की विवाह संबंधी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज है।
- मुस्लिम वर्ग के हितग्राहियों की निकाह योजना अंतर्गत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध।
- योजनावार समस्त श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध।

● राजेश कुमार शर्मा

समग्र शिक्षा पोर्टल

मध्यप्रदेश में सबको शिक्षा तथा शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता के लिए अभियान में अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा छात्रवृत्तियों का क्रियान्वयन किया जाता था, प्रत्येक छात्र-छात्रा जिन्हें छात्रवृत्ति का आवेदन करना होता था, वे संबंधित कार्यालय में पृथक-पृथक आवेदन किया करते थे सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की स्वीकृत प्रक्रिया पृथक-पृथक होने से छात्रवृत्ति का लाभ समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता था या छात्र-छात्राओं को पात्र होने के उपरांत भी एक से अधिक योजनाओं का लाभ उपलब्ध नहीं हो पाता था।

इन समस्याओं के समाधान के लिये 8 विभागों की 30 विभिन्न छात्रवृत्ति तथा शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समग्र समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी इसके लिये समग्र शिक्षा पोर्टल का विकास किया गया। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख निजी तथा शासकीय स्कूलों का पंजीयन समग्र शिक्षा पोर्टल पर करने के उपरांत कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की स्कूलों तथा कक्षा के साथ मैपिंग का कार्य किया गया। मार्च 2014 तक लगभग 1.05 करोड़ बच्चों को स्कूलों के साथ मैप किया जा चुका है।

समग्र शिक्षा पोर्टल की विशेषता

- सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध
- छात्र को अपनी प्रोफाइल के अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता एवं राशि की गणना के लिए छात्रवृत्ति संगणक उपलब्ध।
- सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये एकल सरलीकृत आवेदन पत्र।
- प्रत्येक छात्र व छात्रा का जाति प्रमाण पत्र तथा विकलांगता प्रमाण पत्र की जानकारी एक बार पंजीकृत कर संबंधित अधिकारी से ऑनलाइन करवाकर हमेशा के लिये उपलब्ध।
- छात्र को बार-बार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति।
- छात्रवृत्ति आवेदन के पंजीयन तथा उनकी स्वीकृति के लिए ऑनलाइन प्रणाली।
- छात्र को पात्रतानुसार सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की एक ही बार एक ही अधिकारी द्वारा स्वीकृति तथा राशि का भुगतान सीधे उसके बचत खाते में।
- छात्र को अपने छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा।
- सिस्टम द्वारा छात्र की पात्रतानुसार योजना एवं राशि की गणना तथा स्वीकृति, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं, त्रुटि की संभावना नगण्य, आहरण संवितरण अधिकारी को योजनाओं एवं मदों का ज्ञान आवश्यक नहीं।
- सिस्टम द्वारा योजनावार, शीर्षवार, मदवार बिल तैयार किये जाते हैं मानवीय हस्तक्षेप नहीं, बिल तैयार करने में त्रुटि की संभावना नगण्य।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं श्रमिक संवर्ग से संबंधित छात्रों की सूची उपलब्ध। जो प्रोफाइल के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के लिये पात्र हैं किंतु उनके आवेदन पत्र पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा उस सूची का उपयोग कर ऐसे छात्रों से समन्वय कर योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जा सकता है।
- जिला, ब्लॉक, गांव तथा वार्डवार बच्चों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- स्कूल तथा कक्षावार पंजीकृत छात्र-छात्राओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- नि:शक्तता तथा जातिवार छात्र-छात्राओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध।
- योजना तथा विभागवार छात्रवृत्ति की जानकारी जिलेवार उपलब्ध।
- छात्रवृत्ति की स्वीकृति की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध।

● **तेजन्दर सिंह**

समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का विस्तार कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश में 24 श्रेणियों का चयन किया गया जिन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाना था। प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत परिवारों तथा सदस्यों को श्रेणीवार चिन्हित तथा सत्यापित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ निश्चित समय सीमा में सुनिश्चित करना अत्यंत जटिल कार्य था जो कि समग्र प्रणाली के माध्यम से अत्यंत कम समय में प्रभावी एवं पारदर्शी रूप से संपन्न किया गया।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का विस्तार कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश में 24 श्रेणियों का चयन किया गया जिन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाना था। प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत परिवारों तथा सदस्यों को श्रेणीवार चिन्हित तथा सत्यापित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ निश्चित समय सीमा में सुनिश्चित करना अत्यंत जटिल कार्य था जो कि समग्र प्रणाली के माध्यम से अत्यंत कम समय में प्रभावी एवं पारदर्शी रूप से संपन्न किया गया।

पहले खाद्य विभाग के पास जारी किये गये राशन कार्ड (कार्ड नम्बर, मुखिया, सदस्य संख्या एवं विवरण, पात्रता (BPL/AAY/APL), राशन दुकान) का कोई ऑनलाइन, एकीकृत तथा प्रमाणिक डेटाबेस उपलब्ध नहीं था, पारदर्शी रूप से खाद्य आवंटन एवं वितरण की कोई ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

ऑनलाइन एकीकृत प्रणाली के अभाव में कई फर्जी राशन कार्ड प्रचलन में थे एवं एक ही परिवार के पास एक से अधिक राशन कार्ड उपलब्ध थे जिसकी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। जन्म, मृत्यु एवं विवाह उपरांत राशन कार्ड को तत्काल अद्यतन करने के लिये समुचित तथा सरल व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

वर्तमान में प्रत्येक पात्र परिवार की मैपिंग उचित मूल्य की दुकान के साथ कर दी गई हैं तथा प्रत्येक माह परिवार की पात्रता एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार की पात्रता पर्ची ऑनलाइन समग्र पोर्टल के माध्यम से जनरेट एवं डाउनलोड कर वितरित की जा रही हैं।

चिन्हित किये गये ए.ए.वाय. एवं प्राथमिकता परिवार स्वयं की समग्र आई.डी. का उपयोग कर मासिक राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची (E-Ration Card) को डाउनलोड कर सकता है साथ ही उसे कितने अनाज की पात्रता है, इसकी जानकारी भी स्वयं प्राप्त कर सकता है, पोर्टल पर परिवार में नवजात शिशु का पंजीयन करने एवं व्यक्ति को मृत रिपोर्ट करने से पात्रता पर्ची स्वतः ही अगले माह में अपडेट हो जाती है।

ऑनलाइन एवं एकीकृत डेटाबेस आधारित प्रणाली के माध्यम से अपात्र एवं फर्जी परिवारों को चिन्हांकन कर हटाया गया, ऐसे परिवार जो दो या दो से अधिक राशन कार्ड धारक थे, एक ही बी.पी.एल. सर्वे नम्बर पर एक से अधिक परिवार राशन प्राप्त कर रहे थे, ऐसे असामान्य सदस्यों की संख्या वाले परिवारों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई ताकि ऐसे सदस्यों का पुनः सत्यापित कर हटाया जा सके। उपरोक्त समग्र प्रणाली से शासन को संपूर्ण खाद्य वितरण प्रणाली को व्यवस्थित, पारदर्शी रूप से लागू कर पाना संभव हो पाया है जिससे शासन का वित्तीय लाभ हुआ है।

योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिये सदस्यों की जानकारी सहित, पात्र परिवारों की सूची तथा उचित मूल्य की दुकानवार, खाद्यान्न आंवटन सामान्यजन के लिये पोर्टल पर उपलब्ध है।

● सुश्री गीता कामठे

समग्र पोर्टल पर सदस्य पंजीकरण

			समग्र में पंजीकृत व्यक्ति			जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या			2011 की जनगणना के विरुद्ध उपलब्धि (%)		
स. क्र.	संभाग	जिला	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	इन्दौर	इन्दौर	3758086	1050659	2707427	3272335	848023	2424312	114.84	123.9	111.68
2	भोपाल	भोपाल	2960309	460608	2499701	2368145	453806	1914339	125.01	101.5	130.58
3	जबलपुर	जबलपुर	2769918	1224051	1545867	2460714	1021937	1438777	112.57	119.78	107.44
4	रीवा	रीवा	2637226	2197576	439650	2363744	1968257	395487	111.57	111.65	111.17
5	ग्वालियर	ग्वालियर	2525187	878061	1647126	2030543	757803	1272740	124.36	115.87	129.42
6	सागर	सागर	2505093	1797061	708032	2378295	1669346	708949	105.33	107.65	99.87
7	रीवा	सतना	2484257	1911304	572953	2228619	1754318	474301	111.47	108.95	120.8
8	इन्दौर	धार	2424693	1993029	431664	2184672	1771557	413115	110.99	112.5	104.49
9	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	2296134	1820069	476065	2090306	1585177	505129	109.85	114.82	94.25
10	चम्बल	मुरैना	2144276	1633335	510941	1965137	1494734	470403	109.12	109.27	108.62
11	इन्दौर	खरगोन	2139537	1832578	306959	1872413	1573458	298955	114.27	116.47	102.68
12	उज्जैन	उज्जैन	2083326	1261988	821338	1986597	1207533	779064	104.87	104.51	105.43
13	सागर	छतरपुर	2010433	1561361	449072	1762857	1363604	399253	114.04	114.5	112.48
14	चम्बल	भिण्ड	1926033	1323009	603024	1703562	1270762	432800	113.06	104.11	139.33
15	जबलपुर	बालाघाट	1846396	1643661	202735	1701156	1456435	244721	108.54	112.86	82.84
16	ग्वालियर	शिवपुरी	1844605	1513708	330897	1725818	1430199	295619	106.88	105.84	111.93
17	भोपाल	राजगढ़	1719943	1391110	328833	1546541	1269973	276568	111.21	109.54	118.9
18	उज्जैन	देवास	1710947	1183904	527043	1563107	1111312	451795	109.46	106.53	116.66
19	होशंगाबाद	बैतूल	1702027	1354989	347038	1575247	1266183	309064	108.05	107.01	112.29
20	भोपाल	विदिशा	1667167	1278319	388848	1458212	1118583	339629	114.33	114.28	114.49
21	इन्दौर	बड़वानी	1610527	1365814	244713	1385659	1181786	203873	116.23	115.57	120.03
22	उज्जैन	शाजापुर	1604756	1295935	308821	1512353	1219002	293351	106.11	106.31	105.27
23	उज्जैन	रतलाम	1568760	1073725	495035	1454483	1019563	434920	107.86	105.31	113.82
24	सागर	टीकमगढ़	1542426	1259688	282738	1444920	1195160	249760	106.75	105.4	113.2

			समग्र में पंजीकृत व्यक्ति			जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या			2011 की जनगणना के विरुद्ध उपलब्धि (%)		
स. क्र.	संभाग	जिला	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
25	रीवा	सिंगरौली	1513009	1170351	342658	1178132	951304	226828	128.42	123.03	151.07
26	जबलपुर	सिवनी	1480479	1334997	145482	1378876	1215000	163876	107.37	109.88	88.78
27	भोपाल	रायसेन	1471329	1149699	321630	1331699	1028202	303497	110.49	111.82	105.97
28	इन्दौर	खण्डवा	1447788	1119216	328572	1309443	1050067	259376	110.57	106.59	126.68
29	उज्जैन	मन्दसौर	1441992	1137447	304545	1339832	1062470	277362	107.62	107.06	109.8
30	सागर	दमोह	1414022	1175327	238695	1263703	1013296	250407	111.9	115.99	95.32
31	भोपाल	सीहोर	1395517	1113392	282125	1311008	1062637	248371	106.45	104.78	113.59
32	जबलपुर	कटनी	1380947	1086963	293984	1291684	1028149	263535	106.91	105.72	111.55
33	इन्दौर	झाबुआ	1355852	1272483	83369	1024091	932086	92005	132.4	136.52	90.61
34	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1354583	940311	414272	1240975	851126	389849	109.15	110.48	106.26
35	ग्वालियर	गुना	1310768	986777	323991	1240938	928171	312767	105.63	106.31	103.59
36	रीवा	सीधी	1283277	1180829	102448	1126515	1033407	93108	113.92	114.27	110.03
37	जबलपुर	नरसिंहपुर	1200265	997935	202330	1092141	888536	203605	109.9	112.31	99.37
38	जबलपुर	मण्डला	1199768	1079875	119893	1053522	923309	130213	113.88	116.96	92.07
39	शहडोल	शहडोल	1139367	918263	221104	1064989	845633	219356	106.98	108.59	100.8
40	सागर	पन्ना	1105401	977035	128366	1016028	890707	125321	108.8	109.69	102.43
41	ग्वालियर	अशोकनगर	947542	770738	176804	844979	691233	153746	112.14	111.5	115
42	इन्दौर	अलीराजपुर	873891	814538	59353	728677	671596	57081	119.93	121.28	103.98
43	इन्दौर	बुरहानपुर	864870	564267	300603	756993	496724	260269	114.25	113.6	115.5
44	ग्वालियर	दतिया	861151	631625	229526	786375	604199	182176	109.51	104.54	125.99
45	शहडोल	अनूपपुर	855394	723347	132047	749521	544229	205292	114.13	132.91	64.32
46	उज्जैन	नीमच	853925	602867	251058	825958	580728	245230	103.39	103.81	102.38
47	जबलपुर	डिण्डौरी	808620	770301	38319	704218	671890	32328	114.83	114.65	118.53
48	चम्बल	श्योपुर	764942	643027	121915	687952	580695	107257	111.19	110.73	113.67
49	शहडोल	उमरिया	706815	607861	98954	643579	533058	110521	109.83	114.03	89.53
50	होशंगाबाद	हरदा	596806	479098	117708	570302	450936	119366	104.65	106.25	98.61
		कुल	**81110382**	**58554111**	**22556271**	**72597565**	**52537899**	**20059666**	**111.726**	**111.451**	**112.446**

xÉÉä] : 25.6.2014 iÉEò EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨É

समग्र पोर्टल पर नये परिवार और व्यक्तियों का होगा पंजीयन

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न परिवार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाकर हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में नागरिकों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में शामिल होने वाले नये परिवारों और व्यक्तियों का पंजीयन समग्र पोर्टल के द्वारा होगा। इस संबंध में जारी आदेश का मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003
फोन-0755-2558391, फैक्स-2552665
ई-मेल mdcmsssm@gmail.com
URL : http://www.samagra.gov.in/ & http://sssm.nic.in/

SSSM

क्रमांक/समग्र/2014/110/241 **भोपाल, दिनांक 18/06/2014**

प्रति,

1. समस्त आयुक्त नगर निगम
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत/नगर परिषद
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय :- समग्र पोर्टल पर नये परिवार एवं परिवार सदस्यों को पंजीकृत करने एवं Duplicate एंट्री को विलोपित करने के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक समग्र/2014/101 भोपाल दिनांक 15/04/2014, समग्र/2014/110/129 दिनांक 21 मई 2014।

म.प्र. शासन द्वारा समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं व्यक्तियों का एकीकृत डेटाबेस तैयार कर म.प्र. शासन की विभिन्न परिवार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलीकृत एवं पारदर्शी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में भी परिवार एवं परिवार सदस्यों के पंजीयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

परिवार एवं व्यक्तियों का http://spr.samagra.gov.in/ पोर्टल पर नवीन पंजीयन, अपडेशन एवं Duplicate एंट्री को विलोपित करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें :-

सर्वप्रथम समस्त जनपद पंचायत/नगरीय निकाय अपने यूजर से लॉग-इन कर एक कर्मचारी (ग्राम रोजगार सहायक/वार्डप्रभारी) को पोर्टल पर Register करेंगे इसके उपरांत उस पंजीकृत कर्मचारी को किसी ग्राम पंचायत/वार्ड का पंजीयक (Registrar) नियुक्त करेंगे। यही कर्मचारी (पंजीयक) पोर्टल पर नवीन परिवारों का पंजीयन, अपडेशन एवं Duplicate एंट्री को विलोपित करने में सक्षम रहेंगे।

2. जिन परिवारों एवं परिवार सदस्यों का पंजीयन समग्र पोर्टल पर नहीं हो पाया है, पंजीयक (Registrar) द्वारा उन परिवारों एवं परिवार सदस्यों की सम्पूर्ण जानकारी को समग्र पंजी फार्म में भरवाकर, स्वप्रमाणित दस्तावेज (आयु, जाति, मूल निवास, विकलांगता, बीपीएल, श्रमिक संवर्ग इत्यादि) को संलग्न कराने के उपरांत ही सत्यापित कर समग्र पोर्टल पर नये परिवार एवं सदस्यों का पंजीयन सुनिश्चित कर उक्त परिवार को 8 अंकों की अद्वितीय (Unique) समग्र परिवार आईडी एवं 9 अंकों की अद्वितीय (Unique) समग्र सदस्य आईडी Generate होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय या पंजीयक (Registrar) http://spr.samagra.gov.in/ पर Login कर Population Register के अंतर्गत सर्वप्रथम Download Population Register पर जाकर ग्राम पंचायत/वार्डवार पंजीकृत समस्त परिवारों एवं सदस्यों की सूची को डाउनलोड कर Computer में Save रखेगा साथ ही उक्त सूची को प्रिंट कराकर रजिस्टर में संधारित करेगा। उक्त सूची मे दिये गये 18 कॉलम की जानकारी को अपडेट कर पोर्टल पर सत्यापित करें।

एक व्यक्ति की एक से अधिक समग्र आईडी Generate न हो इस हेतु यह आवश्यक है, कि सूची में परिवार/सदस्य उस ग्राम पंचायत/वार्ड में पजीकृत हैं या नहीं यदि परिवार/सदस्य पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो ही उस परिवार एवं सदस्य को पोर्टल पर बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार कार्यवाही करें।

4. पंजीयक (Registrar) http://spr.samagra.gov.in/ पर Login कर Population Register के अंतर्गत De-Duplication Menu में ग्राम पंचायत/वार्डवार ऐसे परिवार एवं सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई हैं जो संभवतः एक से अधिक बार पंजीकृत हुये हैं अतः सूची का अवलोकन कर ऐसे परिवारों एवं सदस्यों को तत्काल पोर्टल से हटाना सुनिश्चित करें।

5. पंजीयक (Registrar) उसके क्षेत्र में यदि किसी परिवार में बच्चों का जन्म होता या किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो प्राप्त जानकारी (जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/स्वप्रमाणीकरण) के आधार पर पोर्टल पर परिवार के अंतर्गत जन्म/मृत्यु की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

6. पंजीयक एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकाय अपने क्षेत्र मे निवासरत समस्त परिवारों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कर प्रमाणित करेंगे कि उसके क्षेत्र में निवासरत समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन समग्र पोर्टल पर कर लिया गया है। यदि डेटा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित पंजीयक पूर्णतः जवाबदेह होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का समय सीमा में पालन करते हुये परिवार एवं व्यक्तियों का http://spr.samagra.gov.in/ पोर्टल पर नवीन पंजीयन, अपडेशन एवं Duplicate एंट्री को विलोपित करना सुनिश्चित करें।

(संकेत भोंडवे)
मिशन संचालक

समग्र आई.डी. कैसे प्राप्त करें

यदि आपका समग्र आई.डी. प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपने स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और यदि नगर के वासी हों तो जोन/वार्ड कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना पंजीयन समग्र पोर्टल पर सुनिश्चित करें।

SSSM

समग्र पोर्टल पर होगा स्पर्श अभियान का क्रियान्वयन

राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में निशक्तजनों के कल्याण के लिए स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निशक्तजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ निशक्तजनों को एक ही स्थान पर मिले इसके लिए अब स्पर्श अभियान का संचालन समग्र पोर्टल पर होगा। समग्र पोर्टल पर निशक्तजनों का पंजीयन, निशक्तता प्रमाण पत्र और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना आदि कार्य किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश का प्रकाशन मध्यप्रदेश पंचायिका में किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003
फोन-0755-2558391, फैक्स-2552665
ई-मेल mdcmsssm@gmail.com
URL : http://www.samagra.gov.in/ & http://sparsh.samagra.gov.in/

SSSM

क्रमांक/समग्र/स्पर्श/2014/135 **भोपाल, दिनांक 29/05/2014**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स (जिला मिशन लीडर, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (उपमिशन लीडर)
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

विषय :- स्पर्श अभियान का क्रियान्वयन स्पर्श समग्र पोर्टल (http://sparsh.samagra.gov.in) के माध्यम से करने के संबंध में।

स्पर्श अभियान 2011 के अंतर्गत सर्वे कर समस्त निःशक्तजनों का चिन्हांकन प्रदेश में किया गया था। वर्तमान में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है इस हेतु समग्र पोर्टल पर विभिन्न पोर्टल का निर्माण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	समग्र पोर्टल	(http://samagra.gov.in/)
2.	समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल	(http://spr.samagra.gov.in/)
3.	समग्र पेंशन पोर्टल	(http://pensions.samagra.gov.in/)
4.	समग्र विवाह पोर्टल	(http://vivah.samagra.gov.in/)
5.	समग्र स्पर्श पोर्टल	(http://sparsh.samagra.gov.in/)
6.	समग्र शिक्षा पोर्टल	(http://shiksha.samagra.gov.in/)
7.	समग्र खाद्य सुरक्षा पोर्टल	(http://nfsa.samagra.gov.in/)
8.	समग्र जाति प्रमाणपत्र पोर्टल	(http://praman.samagra.gov.in/)

चूंकि समस्त हितग्राहीमूलक एवं परिवारमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त निःशक्तजनों का पंजीयन निःशक्तता प्रमाण पत्र सहित समग्र स्पर्श पोर्टल पर सुनिश्चित कर उन्हें पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाये।

निःशक्तजनों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ को एक ही स्थान पर सरलीकृत रूप से प्रदाय करने हेतु NIC द्वारा स्पर्श समग्र पोर्टल (http://sparsh.samagra.gov.in/) का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

स्पर्श समग्र पोर्टल पर समस्त निःशक्तजनों को चिन्हित एवं सत्यापित करने की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित करें :-

1. जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय, स्पर्श समग्र पोर्टल (http://sparsh.samagra.gov.in/) पर लॉग-इन करेंगे।
2. लॉग-इन करने के उपरांत संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में निवासरत समस्त चिन्हित, पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लाभांवित निःशक्तजनों की सूची उपलब्ध हो जायेगी।
3. विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित व्यक्ति की निःशक्तता की जानकारी को स्पर्श समग्र पोर्टल पर अपडेट कर सत्यापित करेंगे, साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र को स्केन कर अपलोड करें जिससे कि विकलांगता प्रमाण पत्र को पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सके।
4. ऐसे निःशक्तजन जो वास्तव में निःशक्त हैं किंतु पोर्टल पर निःशक्त के रूप में चिन्हित नहीं हैं उन्हे निःशक्त के रूप में चिन्हित कर सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
5. ऐसे निःशक्तजन जो वास्तव में निःशक्त नहीं हैं किंतु पोर्टल पर निःशक्त के रूप में चिन्हित हैं उन्हें निःशक्त की सूची से हटाना सुनिश्चित करें।
6. नवीन विकलांगता प्रमाण पत्र जो मेडिकल बोर्ड एवं कैम्प के माध्यम से जारी किये जायेंगे उन सभी विकलांगता प्रमाण पत्रों पर संबंधित विकलांग व्यक्ति का समग्र सदस्य यूनिक नम्बर अंकित कर संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पोर्टल पर सत्यापित कर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के सहयोग से अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे एक ही व्यक्ति को बार बार निःशक्तता प्रमाण जारी करने की कार्यवाही से बचा जा सकेगा एवं समस्त निःशक्तजनों के विकलांगता प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन संधारण एक ही स्थान पर किया जा सकेगा।
7. समस्त निःशक्तजनों को 9 अंकों की समग्र सदस्य आई.डी. की जानकारी देना सुनिश्चित करें।
8. निःशक्तजनों को दिये जाने वाले समस्त लाभों को देते समय समग्र सदस्य आई.डी. का उल्लेख करें जिसकी सहायता से योजना से लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी को ऑनलाइन किया जा सकेगा।
9. जिन निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय किये गये हैं उनकी जानकारी भी स्पर्श समग्र पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण प्रतिदिन स्पर्श समग्र पोर्टल की समीक्षा करेंगे साथ ही डेटा को अद्यतन करने की संपूर्ण जवाबदारी भी आपकी ही रहेगी।
11. किसी भी विकलांग व्यक्ति को 9 अंकों की यूनिक समग्र सदस्य आई.डी. समग्र पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराना आपके कार्यालयों की जवाबदारी है।
12. दिनांक 21 मई 2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि निःशक्तजनों के लिये स्पर्श अभियान सितम्बर 2014 में पुनः प्रांरभ किया जाये। यह अभियान पूर्ण सफल हो इसके लिये अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी जायें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
आयुक्त सह सचिव
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग

समग्र आई.डी. कैसे प्राप्त करें

SSSM

यदि आपका समग्र आई.डी. प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपने स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और यदि नगर के वासी हों तो जोन/वार्ड कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना पंजीयन समग्र पोर्टल पर सुनिश्चित करें।

SSSM

मानक संचालन प्रक्रिया से अपडेट होगा समग्र डेटाबेस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003
फोन-0755-2558391, फैक्स-2552665
ई-मेल mdcmsssm@gmail.com
URL : http://www.samagra.gov.in/ & http://sssm.nic.in/

क्रमांक/समग्र/2014/268 — **भोपाल, दिनांक 1.7.2014**

प्रति,

कलेक्टर (जिला मिशन लीडर)

अलीराजपुर, हरदा, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, सतना एवं सागर

मध्यप्रदेश।

विषयः- समग्र डेटाबेस को अद्यतन बनाये रखने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वकांक्षी परियोजना है। शासन के विभिन्न विभागों की अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु शासन द्वारा समग्र पोर्टल पर प्रदेश के सभी परिवारों एवं सदस्यों के विस्तृत विवरण का एकीकृत डेटाबेस का निर्माण किया गया है।

योजनाओं का सफल ऑनलाइन क्रियान्वयन समग्र पोर्टल पर उपलब्ध DataBase की शुद्धता एवं अद्यतन स्थिति पर निर्भर करता है, अतएव डेटाबेस के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

1. **ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा सत्यापन (प्रथम स्तर)**

1.1) पूर्व में सर्वे के दौरान समग्र पोर्टल पर जो डेटा अपलोड किया गया था उसमें जिन मास्टर कॉलम की जानकारी अधूरी भरी गई थी जैसे कि परिवार सदस्य का प्रथम नाम, अंतिम नाम, वैवाहिक स्तर, पिता/पति का नाम, जन्म दिनांक, राशन कार्ड का प्रकार, बचत खाता नम्बर, विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत इत्यादि समस्त जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित कर अपडेट करेंगे। देखिये 1.5

1.2) 18 कॉलम की जानकारी को समग्र राज्य जनसंख्या पंजी पोर्टल (http://spr.samagra.gov.in/) पर Excel Format में एन.आई.सी. द्वारा डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, इस जानकारी को ग्राम पंचायत सचिव एवं वित्तीय संस्थाओं के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सत्यापित करेंगे।

1.3) ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक द्वारा 18 कॉलम की जानकारी को पत्र क्रमांक समग्र/2014/110/129 दिनांक 21/05/2014 एवं समग्र/2014/110/241 दिनांक 18/06/2014 में दिये गये निर्देशानुसार प्रक्रिया का पालन कर सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

1.4) उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर पोर्टल पर अपडेशन (अपलोड) करने के उपरांत गांव वार सूची का प्रिंट आउट निकालकर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जायेगा कि यह जानकारी सत्यापित हैं एवं सही हैं, हस्ताक्षर उपरांत इसकी एक प्रति द्वितीय स्तर पर संबंधित समूह (Cluster) को दी जायेगी जो पुनः डेटा अपडेशन एवं शुद्धता की पूर्ण जांच कर संतुष्ट होने के उपरांत हस्ताक्षर कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध करायेगा, जिसका Random सत्यापन जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा।

1.5) उपरोक्त SOP (Standard Opertating Procedure) की प्रक्रिया की कार्यवाही निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।

- समस्त 18 मास्टर कॉलम को भरना अनिवार्य है
- किसी भी जानकारी में NULL या NA नहीं भरना है
- यदि महिला विवाहित/विधवा हो तो पति का नाम एवं समग्र आई डी लिखा जावे
- बचत खाता नम्बर संपूर्ण IFS Code सहित लिखें।

samagra family id	samagra member id	member first name english+ hindi	member last name english+ hindi	Marital Status	father's/ husband's name	gender	DoB/ Age	Caste
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ration card (APL/BPL) + No.	IFS Code of Branch + Account No.	Aadhar No.	Mobile No.	is Disabled (Yes/No)	Disability type & %	Priority Family Type	Voter ID No	Full Address
10	11	12	13	14	15	16	17	18

उपरोक्त 18 कॉलम में कॉलम 1, 2 अपरिवर्तनीय रहेंगे एवं कॉलम 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, नम्बर स्थायी रहेंगे अर्थात् इन्हें एक बार सत्यापित कर अपडेट करने के पश्चात् अपडेट नहीं किया जा सकेगा।

1.6) उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम पंचायत पर टीम का गठन करें जिसमें ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वित्तीय संस्थाओं के नोडल अधिकारी/कर्मचारी को रखा जा सकता है।

2. सत्यापन हेतु समूह (द्वितीय स्तर) :- (आवश्यकतानुसार 4 से 5 समूह एक जनपद पंचायत हेतु)

2.1) समग्र पोर्टल पर अपडेट जानकारी की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत इंस्पेक्टर PCO, RAEO, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, जनशिक्षक, स्वास्थ्य सुपरवाईजर द्वारा 18 कॉलम की जानकारी का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

2.2) वह ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी से डेटा सत्यापन एवं पूर्णतः का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

2.3) वह डेटा सत्यापन एवं अपडेशन हेतु गांववार/वार्डवार कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे।

3. ब्लॉक लेवल (तृतीय स्तर) :- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नेतृत्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, BRC, CDPO, SDO स्तर के अन्य विभाग के अधिकारी रहेंगे।

3.1) Random निरीक्षण

3.2) डेटा सत्यापन का ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

4. राज्य स्तर (चतुर्थ स्तर) -

4.1) मिशन संचालक एवं समग्र टीम द्वारा 4 जून को राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं 30 जून की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विस्तृत प्रक्रिया को समस्त जिला अधिकारियों को समझाया गया है।

4.2) समर्पित टीम द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

4.3) जिला कलेक्टर को उनके जिले में शत-प्रतिशत सत्यापन होने के उपरांत समग्र पोर्टल पर ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र देना होगा।

4.5) संयुक्त आयुक्त (विकास) इस कार्य हेतु संभागीय नोडल अधिकारी रहेंगे जो मिशन संचालक को इस कार्य में संभाग स्तर पर सहयोग करेंगे।

5. 18 कॉलम की जानकारी का अपडेशन पत्र क्रमांक/समग्र/2014/101 दिनांक 15 अप्रैल 2014 में संलग्न परिशिष्ट 'अ'अनुसार दस्तावेजों का उपयोग कर करें।"

इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया Step by Step निम्नानुसार है :-

1) Samagra Family Id: यह अद्वितीय (Unique) है, परिवर्तित नहीं हो पायेगी।

2) Samagra Member Id: यह अद्वितीय (Unique) है, परिवर्तित नहीं हो पायेगी।

3) Member First Name (English + Hindi) सदस्य का प्रथम नाम :- सदस्य का प्रथम नाम पोर्टल पर सही हो इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि सदस्य का नाम पोर्टल से डाउनलोड समस्त अभिलेखों में उपलब्ध रहता है। साथ ही नाम हिन्दी व अंग्रेजी में भी लिखकर सत्यापित करें। (उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है)।

* घर में लिये जाने वाले उपनाम को पोर्टल पर इंद्राज न करें।

4) Member Last Name (English + Hindi) सदस्य का अंतिम नाम :- सदस्य का अंतिम नाम पोर्टल पर सही हो इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि सदस्य का नाम पोर्टल से डाउनलोड समस्त अभिलेखों में उपलब्ध रहता है। साथ ही नाम हिन्दी व अंग्रेजी में भी लिखकर सत्यापित करें। (उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है)।

5) Marital Status वैवाहिक स्तर :- विवाहित/अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पोर्टल पर वैवाहित स्तर के आधार पर भी योजनाओं का लाभ दिया जाता है अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सदस्य का वैवाहिक स्तर का सत्यापन करना सुनिश्चत करें।

(विवाह प्रमाण पत्र या उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है किंतु विवाह के उपरांत वैवाहिक स्तर अपडेट करें)।

6) Father's /Husband's Name पिता/पति का नाम :- यदि महिला का वैवाहिक स्तर विवाहित/विधवा हो तो उसके पति का नाम होना आवश्यक है अतः पति का नाम लिखकर सत्यपित करें।

अविवाहित की स्थिति में पिता का नाम लिखें एवं पुरुष हो तो पिता का नाम ही लिखें। (विवाह प्रमाण पत्र या उपलब्ध दस्तावेज जिस पर संबंध दर्शाया गया हो के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है किंतु विवाह के उपरांत कन्या के पिता की जगह उसके पति का नाम सत्यापित करें)।

7) Gender लिंग :- पोर्टल पर पुनः एक बार सत्यापन अवश्य कर लें। (केवल एक बार ही सत्यापित करना है)।

8) Date of Birth जन्म दिनांक (आयु) :- उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर जन्म दिनांक का सत्यापन अवश्य करें क्योंकि शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं आयु वर्ग पर आधारित हैं। पोर्टल पर गलत आयु होने के कारण पात्र हितग्राही या उसका परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। (जन्म प्रमाण पत्र/अंकसूची/उपलब्ध दस्तावेज जिस पर जन्म दिनांक अंकित हो, के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है)

9) Caste (जाति) :- यदि किसी सदस्य के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति सत्यापन हेतु समग्र पोर्टल पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जानकारी प्रेषित करेंगे इसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सत्यापन किया जायेगा। यदि किसी परिवार सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो परिवार के ही अन्य सदस्यों का सत्यापन उसी जाति के अंतर्गत किया जा सकता है किंतु यदि किसी परिवार में किसी भी सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति के पास उपलब्ध अन्य रिकार्ड जिस पर जाति का उल्लेख किया गया हो के आधार पर जाति का उल्लेख पोर्टल पर कर सकते हैं किंतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ही सत्यापन किया जायेगा।

(अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है)

10) Ration Card राशन कार्ड एवं नम्बर :- AAY/BPL/APL कार्ड उपलब्ध हो तो कार्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी को नम्बर सहित पोर्टल पर सत्यापित किया जा सकता है बिना राशन कार्ड के किसी भी सदस्य या परिवार को AAY/BPL/APL सत्यापित नहीं किया जाये। (यह जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों AAY/BPL/APL के आधार पर अपडेट कर सकते हैं।)

11) Account No. बचत खाता नम्बर :- यदि किसी सदस्य का बचत खाता नम्बर उपलब्ध है तो उस बचत खाते का सत्यापन बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक के आधार पर करें, बैंक में बचत खाता होने की स्थिति में IFS Code का उल्लेख भी अवश्य करें। (पोर्टल पर जानकारी को सावधानीपूर्वक अपडेट करें क्योंकि एक व्यक्ति एक बचत खाता पोर्टल पर होना आवश्यक है जिस बचत खाते मे ही शासन की समस्त योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है)

12) Aadhar No. Seeding: - संबंधित सदस्य जिसका आधार कार्ड उपलब्ध है, आधार कार्ड पर अंकित 12 अंकों के नम्बर को सत्यापित करें। (आधार कार्ड के आधार पर केवल एक बार ही सत्यापित करना है)

13) Mobile No. मोबाइल नम्बर :- किसी सदस्य के पास उपलब्ध 10 अंकों का मोबाइल नम्बर पोर्टल पर दर्ज करें जिससे की उस व्यक्ति को SMS के माध्यम से भी सूचना उपलब्ध कराई जा सके। यदि किसी सदस्य के पास मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है तो उस परिवार के ही अन्य सदस्य जिसके पास मोबाइल नम्बर उपलब्ध है उसका नम्बर संबंधित सदस्य के साथ लिखा जा सकता है। (पोर्टल पर बार-बार मोबाइल नम्बर अपडेट ना करें क्योंकि इसी नंबर पर व्यक्ति को योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित SMS प्राप्त हो सकेंगे।)

14 एवं 15) Disability Type विकलांगता :- यदि किसी सदस्य के पास मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है, विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता संबंधित जानकारी जैसे कि विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत, दिनांक इत्यादि का उल्लेख कर सत्यापित करें। विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत महत्वपूर्ण है क्योंकि योजनाओं का लाभ इन्हीं के आधार पर दिया जाता है।

16) Priority Family :- खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत चिन्हित समस्त परिवारों एवं सदस्यों को श्रेणी के अंतर्गत सत्यापित करें।

17) Voter ID No. :- वोटर आई.डी. (मतदाता परिचय पत्र) पर अंकित 10 अंकों का आई.डी. नम्बर (Alpha-numeric) को ही

प्रविष्ट करें।

18) Full Address पूर्ण पता :- पोर्टल पर सदस्य का पूर्ण पता मिशन के पत्र क्रमांक/समग्र/2014/101 दिनांक 15/04/2014 के परिशिष्ट 'अ' में दिये गये पते के प्रमाणीकरण हेतु सहायक दस्तावेज में से कोई भी एक होने पर ही सत्यापित करें।

6. नोट :-

- सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी स्व-प्रमाणीकरण व्यवस्था हेतु पत्र क्रमांक सी 3-3/2014/1/3 दिनांक 21 मई 2014 को समग्र डेटाबेस में अपडेशन हेतु मान्य किया जायेगा।

http://spr.samagra.gov.in पोर्टल पर डेटा अपडेशन करने हेतु ग्राम पंचायतवार पंजीयक को यूजर आई.डी. व पासवर्ड संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

(संकेत भोंडवे)
मिशन संचालक
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पृ. क्रमांक/समग्र/2014/269 **भोपाल, दिनांक 1/7/2014**

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
9. आयुक्त सह सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.
10. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
11. आयुक्त मनरेगा, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
12. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. शासन
13. समस्त संभागीय संयुक्त आयुक्त (विकास)
14. संबंधित जिलों के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (जिला उप मिशन लीडर), म.प्र.
15. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एनआईसी भोपाल
16. संबंधित जिलों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. मध्यप्रदेश
17. संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत/नगर परिषद् (समग्र सहायक मिशन लीडर) म.प्र.।

मिशन संचालक
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

समग्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा नागरिकों का एकीकृत डाटाबेस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003, फोन- 2558391, ई-मेल mdcmsssm@gmail.com

SSSM

क्रमांक/समग्र/2014/101 **भोपाल, दिनांक 15.04.2014**

प्रति,

समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर)

मध्यप्रदेश शासन।

विषयः- मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समग्र पोर्टल पर Live & Real Time Data बनाये रखने बावत।

संदर्भः- पत्र क्रमांक/समग्र/2014/16 भोपाल दिनांक 31/01/2014 एवं क्रमांक/समग्र/2014/25, दिनांक 6/2/2014.

म.प्र. शासन द्वारा समग्र पोर्टल पर प्रदेश के सभी परिवारों एवं व्यक्तियों के विस्तृत विवरण का एकीकृत डेटाबेस निर्माण कर म.प्र. शासन की विभिन्न परिवार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं को सरलीकृत एवं पारदर्शी रूप से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। समग्र पोर्टल के उपयोग से पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राहियों को पात्रता आधारित सेवाएं देने में सहायता होगी। आपके क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे उपरांत निवासरत समस्त परिवारों एवं नागरिकों का एकीकृत डेटाबेस समग्र पोर्टल पर तैयार किया जा चुका है। योजनावार हितग्राहियों एवं परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही सतत् जारी है। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध डेटाबेस अद्यतन रहें इसके लिये आवश्यक है, कि इस डाटा को संधारित कर निरंतर अपडेट किया जाये, किसी भी परिवार एवं व्यक्ति की मूलभूत जानकारी जैसे कि नाम, पिता/पति का नाम, आयु, लिंग, जाति, बी.पी.एल. निःशक्तता संबंधित जानकारी के साथ-साथ जीवनकाल में रेगुलर लाईफ साइकिल ईवेन्ट्स जैसे कि जन्म, विवाह, परिवार विभाजन, परिवार विस्थापन, परिवार मुखिया से संबंध एवं मृत्यु इत्यादि निरंत प्रक्रिया होने के कारण समग्र डेटाबेस का निरंतर सत्यापन होना अति आवश्यक है। संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये दस्तावेजों एवं मार्गदर्शिका का उपयोग डेटाबेस को अद्यतन करने और नये समग्र ID Generate करने में किया जावे। उपरोक्त जानकारी के डेटा अपडेशन का कार्य जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा ही किया जायेगा अतः अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(संकेत भोंडवे)
मिशन संचालक, म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

परिशिष्ट - 'अ'

डेटा प्रमाणीकरण के लिये निम्नलिखित दस्तावेज वैध होंगे

1. **परिचय प्रमाणीकरण के लिये निम्नलिखित दस्तावेज वैध होंगे। (इनमें से कोई भी एक) :-** 1. मतदाता परिचय पत्र, 2. राशन कार्ड, 3. पासपोर्ट, 4. पैन कार्ड, 5. आधार कार्ड, 6. ड्रायविंग लायसेन्स, 7. शासकीय फोटो परिचय प्रमाण पत्र, 8. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा जारी फोटो परिचय प्रमाण पत्र, 9. विकलांगता परिचय प्रमाण पत्र, 10. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
2. **जन्म तिथि के लिए सहायक दस्तावेज (इनमें से कोई भी एक) :-** 1. जन्म प्रमाण पत्र, 2. शाला स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, 3. मतदाता परिचय पत्र, 4. पासपोर्ट, 5. पैन कार्ड, 6. आधार कार्ड, 7. ड्रायविंग लायसेन्स।
3. **पते के प्रमाणीकरण के लिये सहायक दस्तावेज (इनमें से कोई एक) :-** 1. मतदाता परिचय पत्र, 2. राशन कार्ड, 3. पासपोर्ट/पति या पत्नी का पासपोर्ट/पैन कार्ड, 4. आधार कार्ड, 5. ड्रायविंग लायसेन्स, 6. बैंक स्टेटमेंट, 7. पासबुक, 8. पोस्ट ऑफिस के खाते का स्टेटमेंट, 9. सरपंच अथवा समकक्ष अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिये). 10. विकलांगता परिचय प्रमाण पत्र/राज्य शासन या प्रशासन द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र, 11. बिजली बिल (3 माह से पुराना नहीं) शहरी क्षेत्र के लिए।, 12. पानी का बिल (3 माह से पुराना नहीं) शहरी क्षेत्र के लिए।, 13. टेलीफोन बिल (3 माह से पुराना नहीं) शहरी क्षेत्र के लिए।, 14. गैस कनेक्शन बिल (3 माह से पुरानी नहीं)। शहरी क्षेत्र के लिए।
4. **जाति प्रमाण पत्र के लिये सहायक दस्तावेज :-** 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र फोटो सहित।

समग्र पोर्टल से होगा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन

सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित समग्र पोर्टल पर अब राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से बीस हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003
फोन-0755-2556916, 2558391, फैक्स-2552665
ई-मेल dpswbpl @ nic.in, mdcmsssm@gmail.com
Samagra Portal URL : http://sssm.nic.in/, http://socialsecurity.mp.gov.in/

SSSM

क्रमांक/समग्र/2013/454 **भोपाल, दिनांक 16/12/2013**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स एवं जिला मिशन लीडर, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उप मिशन लीडर
3. समस्त आयुक्त नगर निगम
4. समस्त संयुक्त संचालक उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका नगर पंचायत
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

विषय :- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से करने के संबंध में।

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक 541/26-2/2013, दिनांक 25/04/2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत रुपये 20,000/- की आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। योजना की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिये आयुक्त नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् को रखा गया है।

2. वर्तमान व्यवस्था के तहत आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं और उनके द्वारा आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण में स्वीकृति अस्वीकृति प्रदान की जाती है, स्वीकृति की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही की जाती है। भुगतान की कार्यवाही के अंतर्गत यह देखने में आया है, कि प्राधिकृत अधिकारी सहायता राशि का भुगतान हितग्राही को चेक के माध्यम से कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत बजट आंवटन व्यवस्था को ग्लोबलाईज किया गया है किन्तु यह देखने में आया है, कि राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिये पदाभिहित अधिकारी हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत कर राशि कोषालय से आहरित कर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को पहले उपलब्ध कराई जा रही है और उसके बाद संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा रहा है।

3. इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था को तत्काल बंद करते हुये आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय निम्नानुसार जानकारी आवेदन पत्र में भरवाना सुनिश्चित करें :-

- आवेदक की परिवार समग्र आईडी (संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाये)
- आवेदक की समग्र आईडी (संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाये)
- मृतक की समग्र आईडी (संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाये)
- आवेदक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो तो)
- आवेदक का बचत खाता नम्बर
- मोबाइल नम्बर

तत्पचात् निम्न प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें :

- सर्वप्रथम मृत व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर मृत घोषित करें।
- आवेदन को समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन करें।
- हितग्राही को सत्यापित करें तथा स्वीकृति आदेश डाउनलोड करें।
- ट्रेजरी सिस्टम की सहायता से हितग्राही के बचत खाते में सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

यदि आवेदिका मृत व्यक्ति की पत्नि है तो उसे पात्रतानुसार विधवा पेंशन योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें।

4. 21 दिसम्बर 2013 के उपरांत सभी प्रकरण समग्र पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत कर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से ही राशि का भुगतान आवेदक के बचत खाते में किया जाना सुनिश्चित करें।

नोटः- उपरोक्त कार्य संपादित करने हेतु मार्गदर्शन समग्र पोर्टल पर उपलब्ध।

(डॉ. अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यशाला का आयोजन

मिशन मोड में होगा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित किया जायेगा। मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इस कार्यक्रम के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी रहेंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर मिशन लीडर होंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

क्रमांक एफ 3-4/2013/26-2 **भोपाल, दिनांक 22 मई 2013**

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मिशन मोड में प्रारंभ किया जाये। इस हेतु राज्य स्तर पर मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नोडल अधिकारी रहेंगे।

2. जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिप्टी मिशन लीडर मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-4/2013/26-2 **भोपाल, दिनांक 11 मई, 2013**

प्रतिलिपि -

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. राज्य सूचना अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र, विन्ध्याचल, भोपाल।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन में सभी परिवारों का होगा डेटाबेस

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश के नागरिकों का सर्वे कार्य कर समस्त परिवार और परिवार के सदस्यों की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस सर्वे के डाटाबेस का उपयोग शासन की अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस आदेश का यथावत प्रकाशन मध्यप्रदेश पंचायिका में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय

क्रमांक/समग्र/आई.टी./2013/247 — **भोपाल, दिनांक 16/05/2013**

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय - भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अन्तर्गत समग्र डाटाबेस का उपयोग बेस डाटाबेस के रूप में करने के संबंध में।

सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत घर-घर जाकर सम्पूर्ण प्रदेश के नागरिकों का सर्वे कार्य कर समस्त परिवार एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनसंख्या 2011 (7,25,97,565) के आधार पर दिनांक 7 मई 2013 तक लगभग 80% (5,83,57,913) से अधिक परिवार सदस्यों की जानकारी का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है।

आप सभी से निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा जो भी हितग्राहीमूलक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उन कार्यक्रम हेतु समग्र डाटाबेस को बेस डाटाबेस के रूप में उपयोग करें जिससे समस्त जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके व जानकारी की पुनरावृत्ति ना हो सके।

यदि आप इस डाटाबेस को बेस डाटाबेस के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो डाटाबेस मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पास उपलब्ध है।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./समग्र/आई.टी./2013/248 — **भोपाल, दिनांक 16/05/2013**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन।
5. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन भोपाल।

अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत हितग्राहियों का डाटाबेस होगा तैयार

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही समस्त योजनाओं और योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों की जानकारी एकत्रित और कम्प्यूटरीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। ताकि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और कितने परिवार लाभान्वित हो सकते हैं इसकी जानकारी राज्य शासन के पास उपलब्ध होगी। इस संबंध में जारी परिपत्र को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/समग्र/2012/93 | **भोपाल, दिनांक 11/12/2012**

परिपत्र क्रमांक - 1

हितग्राहियों की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)

मध्यप्रदेश

विषय :- समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अन्तर्गत हितग्राहियों की जानकारी का कम्प्यूटरीकरण कार्य।

भारत सरकार के निर्देशानुसार समग्र स्वच्छता के अन्तर्गत ग्रामों में शौचालय की स्थिति का आकलन, ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में पेंशन की विभिन्न योजनाओं जैसे - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, आदि से वंचित परिवारों तथा राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, मंदबुद्धि/बहुविकलांगता को आर्थिक सहायता, श्रमिक संवर्ग की पेंशन योजना, स्वतंत्रता संग्राम पेंशन योजना आदि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रसूति एवं चिकित्सा सहायता, निःशक्तजन तथा श्रमिक संवर्ग में हाथ ठेला/रिक्शा चालक, पथ पर विक्रय, शहरी एवं घरेलू कामकाजी महिला, हम्माल एवं तुलावटी योजना, भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल आदि के संबंध में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी परिवारों के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों की समस्त जानकारी एकत्रित एवं कम्प्यूटरीकरण कराने का निर्णय लिया गया है।

परिवारों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने एवं कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से परिवारों को शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, अन्य किन योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभांवित किया जा सकता है, इस संबंध में एक स्पष्ट जानकारी शासन के पास उपलब्ध होगी।

इस हेतु जिले में हितग्राहियों की जानकारी एकत्रित एवं कम्प्यूटरीकरण, पर्यवेक्षण/निरीक्षण, नियंत्रण, समन्वय हेतु कर्मचारी/अधिकारियों की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। कम्प्यूटरीकरण का कार्य संपूर्ण राज्य में दिनांक 26/12/2012 से 06/02/2013 के मध्य सम्पन्न कराया जायेगा। उक्त कार्य को सम्पन्न कराने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./समग्र/2012/94 **भोपाल, दिनांक 11/12/2012**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त एवं कोष/नगरीय प्रशासन एवं विकास/स्कूल शिक्षा/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक सेवा प्रबंधन/श्रम/कृषि/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मध्यप्रदेश, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त/संचालक वित्त एवं कोष/नगरीय प्रशासन एवं विकास/स्कूल शिक्षा/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/श्रम/कृषि/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संभाग आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, म.प्र. भोपाल।
6. राज्य सूचना अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र विध्यांचल भोपाल।
7. संचालक, एसआईआरडी जबलपुर म.प्र.।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (समस्त) जिला पंचायत म.प्र.।
9. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय (समस्त) म.प्र.।

अपर मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग

समग्र मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा दल

क्र.	नाम	पदनाम	संपर्क सूत्र	ई-मेल आई.डी.
1.	श्री महेन्द्र पाल सिंह	उप मिशन संचालक (वित्त)	9827283765	
2.	सुश्री गीता कामठे	संयुक्त संचालकठ	0755-2550908	
3.	श्री सुनील जैन	उप मिशन संचालक (आई.टी.)	9425609696	sjain@nic.in
4.	श्री महेन्द्र त्यागी	प्रोग्रामर, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन	9200545637	tyagimahendra79@gmail.com
5.	श्री सुमनकांत जैन	प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा केन्द्र	9826214303	skjain.rsk@gmail.com
6.	श्री सुमित ब्रम्हैया	प्रबंधक, लोकसेवा	9752395999	
7.	श्री लक्ष्मण कहार	समग्र सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर	9424448050	

समग्र मिशन के तकनीकी कार्य हेतु एन.आई.सी. के अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	संपर्क सूत्र	ई-मेल आई.डी.
1.	श्री अजय कुलकर्णी	प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट	9425428746	kulkarni.ajay@nic.in
2.	श्री संजय गर्ग	प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट		garg.sanjay@nic.in
3.	श्री योगेश सिंह	सांइटिस्ट सी	9425430602	singh.yogesh@nic.in
4.	श्री पुष्पांकर चंद	सांइटिस्ट सी		chand.pushpankar@nic.in
5.	श्री अंबुज जैन	सांइटिस्ट सी		jain.ambuj@nic.in
6.	श्री सौरभ साहू	सांइटिस्ट सी		

शिक्षित मध्यप्रदेश से ही बनेगा विकसित मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों का आव्हान किया है कि ऊंची उड़ान भरने और असाधारण काम करने के लिये तैयार रहें। उन्होंने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश के लिये शिक्षित होना जरूरी है। श्री चौहान 16 जून को भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में प्रदेशव्यापी 'स्कूल चलें हम अभियान' का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिये प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा से ही समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। पढ़ाई के खर्च की चिंता छोड़ दें। खर्च सरकार उठायेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे अपने पास-पड़ोस के बच्चों को भी स्कूल भिजवायें और उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दें।

श्री चौहान ने कहा कि युवाओं की रचनात्मक शक्ति से ही देश और प्रदेश बढ़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे देश और प्रदेश को बनाने का संकल्प लें। धन के अभाव में किसी को पढ़ाई में पिछड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षित मध्यप्रदेश बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं पूरे समाज की है। अकेले सरकार यह काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षित मध्यप्रदेश बनाने के लिये और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये अपने आपसी मतभेदों को छोड़कर सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेंगे। राज्य सरकार ने कई अभिनव योजनायें शुरू की हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि अपनी क्षमता पहचाने और समाज के निर्माण में लग जायें। नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों का आव्हान किया है कि वे बच्चों को संस्कारवान बनायें ताकि वे सभ्य समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यालय उपहार योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना में व्यक्ति या संस्थाएं अपनी पसंद के विद्यालयों को शैक्षणिक सामग्री और अन्य जरूरी सामग्री उपहार स्वरूप दे सकेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अशिक्षा के अभिशाप से प्रदेश को मुक्त कराने के लिये प्रदेश की सरकार संकल्पित है। छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरत है समाज को आगे आने और संकल्पित होने की।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारसचन्द्र जैन ने बताया कि इस वर्ष 85 प्रतिशत से अधिक अंक वाले 10 हजार मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञानसिंह ने कहा कि सभी समाजों को आगे आकर प्रयास करने होंगे ताकि सभी बच्चे स्कूल जाएं। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाना सबकी जिम्मेदारी है।

स्वागत उद्बोधन में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहन्ती ने इस अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुये बताया कि स्कूल चलें अभियान चरणों में पूरे वर्ष आयोजित किया जाएगा। अभियान में समाज की सक्रिय भागीदारी के लिये नई पहल में 2 लाख प्रेरक जुड़े हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, विधायक श्री मुरलीधर पाटीदार, श्री रामेश्वर शर्मा, श्री कैलाश सारंग एवं दस हजार पाँच सौ विद्यार्थी और उनके परिजन उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अशिक्षा के अभिशाप से प्रदेश को मुक्त कराने के लिये प्रदेश की सरकार संकल्पित है। छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरत है समाज को आगे आने और संकल्पित होने की।

राज्य शासन द्वारा स्कूलों के पक्के भवनों के साथ-साथ वहाँ पेयजल, शौचालय सहित सभी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम सुनिश्चित किया गया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें तथा सायकिल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अतः पालकों का दायित्व है कि अपने बच्चों को शाला भेजकर उनका भविष्य सँवारें।

• श्री गोपाल भार्गव

एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न हो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि जिले में स्कूल चलें हम अभियान इस तरह से संचालित किया जाये कि एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न हो। उन्होंने शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के भी निर्देश दिये। मंत्री श्री भार्गव 11 जून को अशोकनगर में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधायक सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं गोपाल सिंह चौहान भी मौजूद थे। बैठक में मंत्री श्री भार्गव ने खनित नलकूपों में राइजर पाइप डालने और हेण्ड-पम्प लगाने का कार्य शीघ्र करने के लिये कहा। श्री भार्गव ने किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने खरीफ फसल की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में जिले में ओला-वृष्टि पीड़ित किसानों को राहत राशि वितरण की जानकारी भी दी गई। श्री भार्गव ने राहत राशि वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के गठन के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने खाद्य सुरक्षा पर्व की प्रगति भी जानी। उन्होंने 27 जून को खाद्य सुरक्षा पर्व दिवस पर सम्मेलन करने को कहा।

शिक्षा की ज्योति से बच्चों का भविष्य सँवारें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 16 जून को स्कूल चलें हम अभियान में शासकीय हाई-स्कूल नयापुरा लालघाटी में स्कूली बच्चों को तिलक कर उनका स्वागत किया। जिला प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल भेजने और उनका भविष्य सँवारने में सभी को आगे आना जरूरी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा अभियान को जन-आन्दोलन बनाये जाने पर भी जोर दिया। श्री भार्गव ने कहा कि पिछले वर्षों से जारी सतत् प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा का स्तर निरंतर बेहतर हुआ है। हमारा प्रदेश शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल कर शीघ्र ही केरल के समकक्ष हो जायेगा। श्री गोपाल भार्गव ने स्कूली बच्चों को गणवेश राशि के चेक और पाठ्य-पुस्तकों के सेट भी वितरण किये। उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रावासों में शासकीय उचित मूल्य दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और रियायती मूल्यों पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी प्रयास होंगे। श्री भार्गव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा स्कूलों के पक्के भवनों के साथ-साथ वहाँ पेयजल, शौचालय सहित सभी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम सुनिश्चित किया गया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें तथा सायकिल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अतः पालकों का दायित्व है कि अपने बच्चों को शाला भेजकर उनका भविष्य सँवारें।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रशांत डोलस ने जिले में अभियान के जरिये जन-जागरूकता की दिशा में हुए प्रयासों से अवगत करवाया। स्थानीय पार्षद श्री कृष्ण मोहन सोनी ने भी विद्यालय के समग्र विकास और शिक्षा से वंचित स्ट्रीट चिल्ड्रन को शिक्षित करने के प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रभारी जिला कलेक्टर श्री जी.एस. जामोद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पी.सी. शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल प्राचार्य और शिक्षक उपस्थित थे।

पंचायत चुनाव

मतदाता सूची सही तो मतदान भी सही होगा

मतदाता सूची सही बनेगी तो मतदान भी सही होगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात 30 जून को भोपाल में फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में आब्जर्वर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। श्री परशुराम ने कहा कि आब्जर्वर आयोग की 'आँख-कान' हैं। श्री परशुराम ने कहा कि सभी आब्जर्वर अनुभवी हैं, लेकिन वक्त के साथ तकनीक बदली है। इसलिये इसका प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक उपयोग कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना है। श्री परशुराम ने कहा कि सभी आब्जर्वर टेक्टिस और स्ट्रेटजी के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें। श्री परशुराम ने कहा कि उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर आयोग त्वरित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि चेक लिस्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। श्री परशुराम ने बताया कि वार्डवार मतदाता सूची बनेगी। प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची पर नजरी-नक्शा भी लगेगा। मतदाता को वोटर स्लिप दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिये। जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या कम दिख रही है, वहाँ छूटे हुए नाम सूची में जुड़वायें। जनगणना-2011 के लिंगानुपात से भी जानकारी ले सकते हैं। दावे-आपत्ति केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिये। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वेण्डर तहसील स्तर पर उपलब्ध रहना चाहिये। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन के लिये सेवानिवृत्त आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को निर्वाचन आब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

तीन चरण में होंगे पंचायत चुनाव

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरण में करवाये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह जानकारी 25 जून को भोपाल में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। श्री परशुराम ने कहा कि संभागीय कमिश्नर चुनाव प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। श्री परशुराम ने कहा कि प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी जानकारी मतदाता तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। फोटोयुक्त मतदाता सूची त्रुटि रहित बनवायें। उन्होंने कहा कि ई.व्ही.एम. की तैयारी नगरीय निकाय और विकासखण्ड स्तर पर होगी, इसलिये प्रशिक्षण को गंभीरता से लें।

श्री परशुराम ने कहा कि मतदाता सूची में नजरी-नक्शा भी लगवायें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर नियमित रूप से फीडबैक दें। उनके फीडबैक के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। श्री परशुराम ने कहा कि कमिश्नर और कलेक्टर मॉनीटरिंग टूल का अधिकाधिक उपयोग करें। दावे-आपत्ति केन्द्र विजिबल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अवगत करवायें। राजनैतिक दलों से बी.एल.ए. नामांकित करने का भी आग्रह करें।

मॉनीटरिंग के लिए नियुक्त होंगे आब्जर्वर

स्थानीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का उपयोग होगा। जिलों में चल रहे निर्वाचन नामावली की तैयारियों की मॉनीटरिंग के लिए आयोग द्वारा आब्जर्वर भेजे जायेंगे। आब्जर्वर जिलों से ऑनलाइन रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जुलाई अंत और पंचायत चुनाव के लिए अगस्त अंत तक ई.व्ही.एम. जिलों को भेज दी जायेंगी। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निकाय चुनाव में निकाय के कर्मचारी और रोजगार सहायक को बी.एल.ओ. नहीं बनाया जाये। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रचार के लिए बनाये गए 'सेन्स' कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। कलेक्टर्स के सुझाव पर इसमें एथिकल प्वाइंट्स को भी जोड़ा जायेगा।

कमिश्नर भोपाल संभाग श्री एस.बी. सिंह ने बताया कि सीहोर और भोपाल जिले में ई.व्ही.एम. के प्रचार के लिये व्यापक कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में निर्चाचन संबंधी तैयारियाँ की जा रही हैं। बैठक में संभाग के जिलों के कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग के अधिकारी उपस्थित थे।

मल्टी लेवल मॉनीटरिंग टूल का उपयोग करें

कमिश्नर-कलेक्टर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिये बनाये गये मल्टी लेवल मॉनीटरिंग टूल का अधिकाधिक उपयोग करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह निर्देश 3 जुलाई को भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा में दिये। श्री परशुराम ने कहा कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियाँ एक साथ करें। तीन जुलाई को ग्वालियर, चम्बल एवं सागर संभाग के जिलों की समीक्षा की गई।

श्री परशुराम ने कहा कि जिन नई तहसील में नेटवर्क की समस्या है, वहाँ पुरानी तहसीलों में मतदाता सूची का कार्य पहले करवाया जाये। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जनपद पंचायत स्तर पर वेण्डर नहीं पहुँचे हैं, वहाँ तीन दिन में पहुँच जायेंगे। फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिये अलग से मॉनीटरिंग टूल बनाया गया है। श्री परशुराम ने कहा कि ईवीएम के ट्रेकिंग सिस्टम का टेस्ट कर लें। उन्होंने कहा कि जहाँ जरूरत हो, वहाँ ईवीएम स्टोरेज रूम की मरम्मत करवायें। इसके लिये बजट अतिशीघ्र भेजा जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम 'सेन्स' के संबंध में कार्य-योजना बनाकर शीघ्र आयोग को भेजें और जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन भी करवायें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी पंचायत निर्वाचन में सरपंच का चुनाव ईवीएम से करवाना है।

एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख से बनेंगी मतदाता सूची

मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। प्रारंभिक मतदाता-सूची तैयार करने के लिये कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण होगा। विधानसभा निर्वाचन नामावली विकास खण्डवार पृथक कर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। मूल निर्वाचक नामावली में अनुपूरक-सूचियों का समावेश और उसमें ग्राम-पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिन्हित करने तथा आधार-पत्रक तैयार करने का कार्य 22 जुलाई तक पूर्ण किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम-पंचायत की मतदाता-सूची को वार्डवार मार्किंग कर प्रारूप सूची 11 अगस्त तक तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली की प्रति 13 अगस्त को वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता-सूची की चेक-लिस्ट 30 अगस्त, 2014 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अधिकारी द्वारा त्रुटियों में सुधार के बाद चेक-लिस्ट 9 सितम्बर तक वेण्डर को दी जायेगी। वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन-सूची का मुद्रण कर 15 सितम्बर तक निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय की जायेगी। द्वितीय चरण में मतदाता-सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजने तथा प्रचार-प्रसार करने का कार्य 16 सितम्बर तक किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर तक होगा। मतदाता-सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर से शुरू होगा और अंतिम तारीख 9 अक्टूबर होगी। प्राप्त दावों तथा आपत्तियों को 17 अक्टूबर तक निपटाया जायेगा। इनके निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म क, ख, ग वेण्डर को 21 अक्टूबर तक दिया जायेगा। वेण्डर से प्राप्त चेक-लिस्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं संशोधन 27 अक्टूबर तक किया जायेगा। वेण्डर द्वारा मतदाता-सूची की अनुपूरक-सूची का मुद्रण कर 31 अक्टूबर तक जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक-सूचियों को मूल सूचियों के साथ 7 नवम्बर तक जोड़ा जायेगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवम्बर को होगा। सूची विक्रय के लिये 10 नवम्बर से उपलब्ध होगी।

प्रगति की राह पर अग्रसर - पंचायत दर्पण

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने, लेखा प्रणाली को मजबूत करने और सतत् अंकेक्षण के लिए 'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल बनाया गया है। 'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल के द्वारा पंचायतों का सारा हिसाब किताब कम्प्यूटर पर उपलब्ध है। 'पंचायत दर्पण' पंचायत स्तर पर पूरी जानकारी रखता है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और पंचायतों के तीनों स्तरों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की जानकारी पब्लिक डोमेन में प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा 'पंचायत दर्पण' वेब पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं की प्रविष्टियाँ करना शुरू हो गया है। इस अंक में हम पंचायत दर्पण वेबसाइट की 17 जून 2014 तक की स्थिति में की गई प्रगति की जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं -

वेब पोर्टल पंचायत दर्पण की प्रगति 17 जून 2014 तक

(राशि लाख रुपये)

		वित्तीय			भौतिक		
क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृत कार्य	कुल लागत (राशि)	व्यय (राशि)	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य	अप्रारम्भ कार्य
1	डिण्डौरी	1036	4068.06	2126.93	429	379	228
2	शिवपुरी	2245	6078.83	2242.77	634	923	688
3	बुरहानपुर	745	2638.54	1437.23	339	293	113
4	बड़वानी	1398	6631.73	566.21	52	799	547
5	झाबुआ	1178	3354.8	2083.55	331	510	337
6	खण्डवा	1905	6408.3	3185.67	962	586	357
7	देवास	1866	4677.6	2289.91	862	445	559
8	जबलपुर	3815	8382.28	2990.83	1019	497	2299
9	कटनी	1725	3964.78	2050.25	803	301	621
10	श्योपुर	1010	3770.89	1068.89	195	237	578
11	बालाघाट	3229	12861.7	5879.08	1204	656	1369
12	टीकमगढ़	1914	8145.69	3025.37	686	650	578
13	दतिया	796	2104.13	1499.21	636	84	76
14	शाजापुर	2295	6617.72	2149.71	1029	381	885
15	नीमच	999	2255.41	271	96	319	584
16	छतरपुर	1552	4046.89	1737.16	451	460	641

17	भिण्ड	3317	7157.27	3411.09	1797	266	1254
18	गुना	1391	4158.91	2537.96	799	71	521
19	सीहोर	1901	6374.99	2739.02	543	624	734
20	रतलाम	1470	4765.47	1621.95	341	611	518
21	सिंगरौली	1188	5595.22	5571.95	119	609	460
22	मण्डला	1614	4814.42	2754.52	985	323	306
23	अनूपपुर	1057	4208.42	2991.07	583	253	221
24	पन्ना	1619	7527.99	1966.89	310	727	582
25	सतना	2085	8533.97	4023.33	805	839	441
26	दमोह	1250	4850.93	1123.39	302	204	744
27	रायसेन	1993	6255.91	2945.26	790	402	801
28	सागर	1679	5678.67	954.14	250	906	523
29	सिवनी	3053	8676.69	5496.75	1854	870	329
30	अलीराजपुर	1209	4698.04	715.71	135	364	710
31	सीधी	766	3516.9	987.74	239	136	391
32	नरसिंहपुर	2141	6010.72	2433.51	636	680	825
33	राजगढ़	2482	9996.77	2937.5	1006	539	937
34	धार	3463	11041.7	1976.22	228	1674	1561
35	रीवा	1625	6020.32	1950.5	341	616	668
36	होशंगाबाद	1523	4687.71	955.17	305	477	741
37	भोपाल	762	2965.08	974.93	211	317	234
38	बैतूल	2986	10081.7	5100.78	1016	912	1058
39	विदिशा	2281	7382.42	3388.98	895	857	529
40	छिन्दवाड़ा	2170	6919.79	3102.64	825	707	638
41	शहडोल	1372	5524.63	3457.55	375	409	588
42	हरदा	1135	4911.6	1107.48	131	264	740
43	ग्वालियर	642	2797.09	1939.35	330	115	197
44	खरगोन	2991	10295.5	5038.85	558	1191	1242
45	उज्जैन	7555	5042.29	2193.34	4570	255	2730
46	इन्दौर	1032	3127.84	1883.04	474	256	302
47	मुरैना	1435	4987.56	1961.97	614	234	587
48	उमरिया	479	2183.34	1231.22	80	307	92
49	अशोकनगर	1170	2323.87	1111.99	579	218	373
50	मन्दसौर	1761	4021.01	1474.25	494	417	850

¤ÉÉiÉ {ÉiÉ EòÒ

जल-आमंत्रण

हरियाली से बादल को आमंत्रण भेजो।
जल की रजत बून्द को मिलकर खूब सहेजो।।
भरे जलाशय - नदियाँ, भीगे धरती सारी -
बचे हुए जल को पुनश्च भूगर्भ में भेजो।।

विनोद शर्मा
एफ-305 राजहर्ष कॉलोनी, भोपाल

¨ÉÉ½þ EòÉ {ÉjÉ

महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री जी का आश्वासन

सम्पादक जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सोलह जून को स्कूल चलें हम अभियान का शुभारंभ करते हुए एक महत्वपूर्ण आश्वासन शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को दिया कि वे खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूल व कॉलेज में जाने वाले बच्चे पढ़ाई के खर्च की चिन्ता छोड़ दें, इसका खर्च सरकार उठायेगी। इस आश्वासन से प्रदेश के अध्ययनशील बच्चों को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमती निशा शुक्ल
देवास (म.प्र.)

Eò{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉB

Ê|ÉªÉ ºÉ®{ÉSÉ VÉÒ, VÉºÉÉ ÊEò +É{É VÉÉxÉiÉ ½éÒ ½ "Eò{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉB' EòÉ±É¨É ¨É ½¨É +É{ÉEòÉ ½®ú ¨ÉÉ½þ ÊEòºÉÒ BEò ªÉÉVÉxÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ºÉZÉÉiÉ ½* +É{É =ºÉ ªÉÉVÉxÉÉ Eò ¤ÉÉ®Ú ¨É {ÉSÉÉªÉiÉÉ uÉ®É CªÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ iÉlÉÉ CªÉÉ +É® ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ =ºÉ ¤ÉÉ®Ú ¨É º´ÉiÉjÉ Ê]ÚÙ{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉ* =ºÉ Ê]Ú{{ÉhÉÒ Eò xÉÒSÉ +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É, {ÉnxÉÉ¨É, OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É, VÉxÉ{Én {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É, ÊVÉ±ÉÉ {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É iÉlÉÉ ¦ÉVÉxÉ EòÒ iÉÉ®ÒJÉ +´É¶ªÉ Ê±ÉJÉ* <ºÉ ºiÉ¨¦É ¨É ½¨É {ÉÉ`ÉEòÉ ºÉ ¤ÉcÒ ºÉJªÉÉ ¨É |ÉÊ´ÉÎ¹]ªÉÉ Ê¨É±ÉxÉ EòÒ =¨¨ÉÒn ®½iÉÒ ½* {ÉSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉºlÉÉªÉ +ÊvÉEòÉ¶É ºÉ®ÉEòÉ®Ò ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò ºÉSÉÉ±ÉxÉ ¨É xÉÉb±É BVÉºÉÒ EòÉ EòÉªÉ Eò®iÉÒ ½* <ºÉ oÎ¹]Ú ºÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ®ÉEòÉ®Ò ªÉÉVÉxÉÉ Eò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ ¨É ºÉ¤ÉºÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ Ê]Ú{{ÉhÉÒ {ÉSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉºlÉÉ EòÒ ½ÉiÉÒ ½*

VÉ±ÉÉ< **2014** Eò Ê±ÉB <ºÉ ¤ÉÉ® Ê´É¹ÉªÉ ½

CªÉÉ +É{ÉEòÒ OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ ´ÉlÉÉ®É{ÉhÉ Eò Ê±ÉB |ÉÉiºÉÉ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®½É ½?

¨ÉÉ½þ EòÒ EòÉ´ÉiÉÉ

स्कूल चलें हम

शिक्षा की
अलख जगाने को -
स्कूल चलें हम।।
चलो कि शिक्षा से
संस्कार की जोत जगायें।
शिक्षा से रूढ़ि-कुरीति के
तम दूर भगायें।।
शिक्षा से
विवेक जगाने को -
स्कूल चलें हम ।।1।।
चलो कि शिक्षा से
विकास की राह मिलेगी।
ज्ञान और विज्ञान की
वांछित थाह मिलेगी।।
शिक्षा से
कौशल पाने को -
स्कूल चलें हम ।।2।।
शिक्षा ही तो
इस जीवन का हासिल है।
शिक्षित है तो समझो
व्यक्ति काबिल है।।
शिक्षा से
खुशियाँ पाने को -
स्कूल चलें हम ।।3।।

राजा दुबे
एफ 310 राजहर्ष कॉलोनी
कोलार रोड, भोपाल

½¨ÉÉ®É {ÉiÉÉ

ºÉ¨{ÉÉnEò
"¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ'
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò IÉjÉ, +®®É Ê½±É,
¦ÉÉ{ÉÉ±É - **462011**
¡òÉxÉ : **2764742, 2551330**
¡òCºÉ : **0755-4228409**
Eò{ÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò OÉÉ½Eò ¤ÉxÉxÉ Eò Ê±ÉB +{ÉxÉ
nÉ ºÉÉ ¯û{ÉªÉ Eò bÉ}]/¨ÉxÉÒ+Éb®
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉ{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉ*